

“मज़बूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी”

हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2011—2012

(01.04.2011 से 31.03.2012)

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
I.	विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत सूचना)	1—15
II.	विभाग के संविधिक (स्टैचुटरी) कार्य	16—26
III.	प्रशासनिक कार्य	27—36
IV.	परिशिष्ट	37—66

अध्याय—1

निर्वाचन विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1984-85 में सचिवालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः निर्वाचन विभाग का मुख्यालय विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग का कार्य करता है। इस प्रकार निर्वाचन विभाग Single File System वाला विभाग है। इसका मुखिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन) होता है। वर्ष 2011-12 के दौरान मान्य मुख्य मन्त्री इस विभाग के मन्त्री प्रभारी रहे। निर्वाचन विभाग का विवरण, संगठनात्मक ढांचा, क्रियाकलाप, शक्तियां और कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं, जिनका वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत उल्लिखित है।

1. विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य

निर्वाचन विभाग एक गैर योजना विभाग है और विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों के संचालन का उत्तरदायित्व निभाता है। यह विभाग निम्न प्रकार की संविधिक (Statutory) कार्य/ गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में निर्वहन करता है :-

- 1 राष्ट्रपतीय/ उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन का संचालन,
- 2 राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन,
- 3 लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/ उप निर्वाचन,
- 4 मतदान केन्द्रों की स्थापना,
- 5 मतदाता सूचियों की तैयारी एवं अद्यतन,
- 6 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना,
- 7 लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
- 8 सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) योजना।

इसके अतिरिक्त दूसरे नियमित कार्य जैसे स्थापना/ बजट, लेखा, भण्डार की आपूर्ति/ वितरण इत्यादि का कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभाग के कार्य का विभाजन

(i) राज्य मुख्यालय स्तर पर

- (क) सचिव (निर्वाचन) बतौर "प्रशासनिक विभाग" और विभाग में श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करते हैं।
- (ख) मुख्य निर्वाचन अधिकारी "विभागाध्यक्ष" है और तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सक्षम हैं तथा जिलों में यह शक्तियां सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) में निहित है।

- (ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ संविधिक कार्य (Statutory functions) के कार्यान्वयन हेतु एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) पदाविहित है जोकि कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी है।
- (घ) विभागीय कैडर का एक पद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) जोकि राज्य सरकार के अवर सचिव के दर्जे का है, विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी आहरण एवं संवितरण का कार्य करता है तथा यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्तों के लिए नियन्त्रण अधिकारी भी है। शाखा-1 में उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी और सात वरिष्ठ सहायकों के पद हैं।
- (ङ) एक और विभागीय कैडर का पद निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) भी विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी तथा चार वरिष्ठ सहायक शाखा-11 का कार्य देखते हैं।
- (च) एक तकनीकी पद कम्प्युटर प्रोग्रामर(श्रेणी-1) का स्वीकृत है। इस अधिकारी की सहायतार्थ कम्प्युटर सैल में एक कम्प्युटर ऑपरेटर, एक डाटा ऑपरेटर और एक कनिष्ठ सहायक भी हैं। कम्प्युटर सैल में कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय स्टाफ तथा जिला मुख्यालय/ उप मण्डलीय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को कम्प्युटर प्रशिक्षण आदि का कार्य करते हैं।

(ii) जिला मुख्यालय स्तर

जिलों के उपायुक्त "जिला निर्वाचन अधिकारी" होते हैं और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। उपायुक्त, शिमला, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा लोक सभा निर्वाचनों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हैं। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ एक-एक तहसीलदार(निर्वाचन) कार्यरत हैं। जिला कांगड़ा व मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन) तथा अन्य आठ जिलों में एक-एक नायब तहसीलदार (निर्वाचन) विद्यमान हैं। जिला किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) नहीं हैं।

(iii) उप मण्डलीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उप मण्डलाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राजस्व/ निर्वाचन विभाग के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार भी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उप मण्डल स्तर पर

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो/ लिपिक तथा चपड़ासी रिटर्निंग ऑफिसरों की सहायता नियुक्त हैं।

2. ऑफिसरों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्यकलाप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदाभिहित करता है।

उक्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा पूर्व-पदेन सचिव(निर्वाचन) के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में निर्वाचन विभाग की कोई अलग शाखा नहीं है इसलिए वह प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष हैं।

- बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका निर्वाचन विभाग पर पूर्ण नियन्त्रण है।
- वह जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादनार्थ उनका परिवीक्षण करते हैं। विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए भी वह सक्षम है।
- वह बतौर विभागाध्यक्ष एवं सचिव(निर्वाचन) वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु सक्षम हैं।
- उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के निवारण के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी की शक्तियां निहित हैं।
- वह विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवम् अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन)

यह पद हिमाचल प्रशासनिक सेवा कैडर का है तथा उक्त अधिकारी निर्वाचन विभाग के मुख्यालय का कार्यालयाध्यक्ष है। इनके द्वारा निम्न कार्य का निष्पादन किया जाता है :-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) के साथ सभी विभागीय मामलों में सहायता करना।
- निर्वाचन विभाग की दोनों शाखाओं एवं कम्प्यूटर सैल का पर्यवेक्षण।
- कार्यालयाध्यक्ष स्तर के सभी वित्तीय मामलों का निपटारा।
- विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति/ पुष्टिकरण।
- मुख्यालय पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु रिपोर्टिंग आफिसर।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

यह अधिकारी (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) राज्य के अवर सचिव के स्तर के हैं। वह निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर बतौर आहरण एवं सवितरण अधिकारी तथा नियन्त्रण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी विभागीय मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता करना।
- बजट, लेखे व भण्डार सम्बन्धी मामलों के कार्यों की देखरेख करना।
- विभाग की अन्य गतिविधियों जैसे विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग, प्रशासन में दक्षता सम्बन्धी बैठक में भाग लेना।
- अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण/ निष्पादन आदि।

निर्वाचन अधिकारी

विभाग में यह पद भी राजपत्रित प्रथम श्रेणी का है। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी प्रकार के निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता सूचियों का अद्यतन, कम्प्यूट्रीकरण, मतदाताओं के पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना, राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन तथा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यों की देखरेख करना।

अनुभाग अधिकारी-I

यह अधिकारी अनुभाग-I का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य स्थापना, बजट, लेखे व भण्डार सामग्री आदि मामलों का निष्पादन है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहायकों के कार्य का निरीक्षण इत्यादि।

अनुभाग अधिकारी-II

यह अधिकारी अनुभाग-II का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता जागरण अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतों आदि के कार्य का निष्पादन है तथा सम्बन्धित सहायकों का कार्य का निरीक्षण आदि।

निजी स्टाफ

निजी स्टाफ में एक पद निजी सचिव तथा एक पद वरिष्ठ आशुलिपिक और एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक का सृजित है। यह निजी स्टाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) के दिनचर्या के कार्य एवं जो भी सरकारी कार्य उन्हें अधिकारियों द्वारा सौंपा जाए जैसे फाईलों का रखरखाव, गोपनीय रिकार्ड की अभिरक्षा, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा में टंकण का कार्य तथा वाहनों आदि का नियन्त्रण का कार्य का निष्पादन करता है।

इसके अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	III	वरिष्ठ सहायक	25
2.	III	निर्वाचन (कानूनगो)	70
3.	III	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	77
4.	III	कम्प्युटर अप्रेटर	1
5.	III	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
6.	III	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
7.	III	चालक	2
8.	IV	प्रतिलिपि चन्द्र चालक	1
9.	IV	दफतरी	1
10.	IV	चपड़ासी	74
11.	IV	चौकीदार	12
कुल योग			265

जिला स्तर के कार्यालय

जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक के अनुसरण में प्रत्येक जिला के उपायुक्त को निर्वाचन कार्य के निर्वहन हेतु "जिला निर्वाचन अधिकारी" पदाभिहित किया गया है और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में जिलों में निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाते हैं। चार जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त), शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी लोक सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गये हैं। अन्य जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पदाविहित किए गये हैं।

तहसीलदार (निर्वाचन)

जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ प्रत्येक जिला में एक-एक तहसीलदार (निर्वाचन) नियुक्त किए गये हैं। उक्त तहसीलदारों को आहरण एवं सवितरण अधिकारियों की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा विधान सभा निर्वाचनों के संचालनार्थ उन्हें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी पदाविहित किया गया है। उक्त अधिकारी सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में निर्वाचन

का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया, वोटिंग मशीनों के बारे में प्रशिक्षण आदि प्रदान करते हैं। उपमण्डल स्तर के निर्वाचन के कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण भी तहसीलदार (निर्वाचन) ही करते हैं। फील्ड के सभी प्रकार के कार्य जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कार्य का निरीक्षण आदि भी वे ही करते हैं।

नायब तहसीलदार (निर्वाचन)

लाहौल स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर जिला निर्वाचन कार्यालय शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चम्बा तथा कुल्लू में एक-एक नायब तहसीलदार तथा कांगड़ा एवं मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन), तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ नियुक्त हैं। उक्त अधिकारी भी मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उक्त अधिकारी फील्ड में निर्वाचन कार्य की देखरेख भी करते हैं।

वरिष्ठ सहायक

तहसीलदार (निर्वाचन)/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक या दो वरिष्ठ सहायकों के पद स्वीकृत हैं। उक्त कर्मचारी स्थापना, बजट एवं लेखे तथा निर्वाचन संचालनार्थ पत्राचार आदि का कार्य करते हैं।

कनिष्ठ सहायक/ लिपिक

प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में दो या तीन कनिष्ठ सहायक/ लिपिक के पद स्वीकृत हैं। उक्त कनिष्ठ सहायक/ लिपिक, वरिष्ठ सहायक की सहायता करते हैं तथा हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण कार्य, बिलों की तैयारी, डाक आवती/ प्रेषण, भण्डार सामग्री का रखरखाव इत्यादि का कार्य सम्भालते हैं।

चपड़ासी/ चौकीदार

जिला निर्वाचन कार्यालयों में 2-3 चपड़ासी तथा एक-एक चौकीदार के पद स्वीकृत हैं।

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय

रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचनों के संचालनार्थ उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु वह बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाविहित किए गये हैं। उप मण्डल स्तर पर उक्त अधिकारी निर्वाचन शाखा के प्रभारी भी होते हैं।

निर्वाचन कानूनगो

प्रत्येक उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो का पद स्वीकृत है। निर्वाचन कानूनगो रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त हैं तथा फील्ड में निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी और निरन्तर अद्यतन, मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना आदि का कार्य करवाते हैं।

कनिष्ठ सहायक/लिपिक

एक पद कनिष्ठ सहायक/ लिपिक का हर उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत है। उक्त कर्मी हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण, डाक आवती/ प्रेषण और निर्वाचन भण्डार के रख-रखाव का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन कानूनगो के साथ हर मामले में सहायता करते हैं।

चपड़ासी

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए एक-एक पद चपड़ासी का स्वीकृत है जोकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का कार्य सम्भालते हैं।

3. पर्यवेक्षण के माध्यम तथा उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपनाई गई कार्य विधि

निर्वाचन विभाग में कार्यालय के कार्य की सुचारूता के अनुरूप सभी अधिकारियों/ व्यवहत्कर्ता सहायकों तथा अन्य कर्मियों को कार्य का आबंटन किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ उनका उत्तरदायित्व निर्धारित है। जहां तक कार्य के पर्यवेक्षण का प्रश्न है सभी व्यवहत्कर्ता अपने-अपने मामले में सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को तथा अनुभाग अधिकारी आगे शाखा प्रभारी को फाईलें प्रस्तुत करते हैं। शाखा प्रभारी फाईलों को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोकि कार्यालयाध्यक्ष हैं तथा विशेष सचिव (निर्वाचन) भी हैं, उनके स्तर के मामलों के निपटान हेतु प्रस्तुत करते हैं। जो मामले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर बतौर विभागाध्यक्ष निपटाए जाने हों, ऐसे मामले अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभारी मन्त्री को मामले प्रस्तुत करते हैं क्योंकि निर्वाचन विभाग एक तरह से Single File System वाला विभाग है। अतः सभी मामलों पर तत्परता से निर्णय ले लिए जाते हैं।

4. कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानक

निर्वाचन विभाग में हर ऑफिसर के कार्य निष्पादन हेतु संविधिक प्रावधान (Statutory Provisions) हैं जिसके अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है।

निर्वाचन विभाग के पास विभागीय कर्मियों की नियुक्ति/ पदोन्नति के नियम हैं। जहां तक विभाग की कार्य प्रणाली का प्रश्न है, इस विभाग का सारा कार्य भारत निर्वाचन आयोग के

अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन में होता है जिसके लिए निम्न केन्द्रीय अधिनियम, नियम, आदेश/ अनुदेश हैं :-

- 1 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952.
- 2 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974.
- 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951
- 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960.
- 5 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961.
- 6 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम, 2002.
- 7 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 8 रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 9 राज्य सभा निर्वाचन से सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 10 पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 11 संकलित अनुदेशों की पुस्तिका।
- 12 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968.

5. विभाग के पास अथवा इसके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों के वर्गीकरण की विवरणी।

- (क) वित्तीय बजट आबंटन से सम्बन्धित पुस्तिका
- (ख) विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- (ग) गत लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित रिपोर्ट
- (घ) पावती/ प्रेषण रजिस्टर
- (ङ.) हाजिरी रजिस्टर
- (च) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
- (छ) बजट नस्तियां
- (ज) स्थापना से सम्बन्धित नस्तियां
- (झ) पुनार्वलोकन बैठकों की नस्तियां
- (ञ) संसदीय/ विधान सभा प्रश्नों की नस्तियां
- (ट) अन्य नियमित कार्यों से सम्बन्धित नस्तियां आदि।

6. विभाग से सम्बन्धित नीतियों के प्रारूपीकरण अथवा तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए किसी विद्यमान व्यवस्था का विवरण।

विभागीय नीतियों (Policies) के कार्यान्वयन हेतु जैसे मतदान केन्द्रों की स्थापना, फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है।

7. ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां अथवा अन्य निकाए जोकि दो अथवा अधिक व्यक्तियों सहित विभाग के भाग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित हो तथा क्या ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाओं की बैठके जनता के लिए सार्वजनिक है अथवा क्या ऐसी बैठकों की कार्यवाही जनता की पहुंच में है।

विभाग द्वारा कोई बोर्ड, समितियां गठित नहीं की गई हैं।

8. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

विभिन्न श्रेणियों के निम्न विवरणानुसार राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा उप मण्डलीय स्तर पर पद स्वीकृत हैं।

क्र. सं.	पदों का विवरण	पदों की संख्या
राज्य मुख्यालय स्तर पर		
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रधान सचिव (निर्वाचन)	1
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन विशेष सचिव (निर्वाचन)	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतूल्य)	1
4.	निर्वाचन अधिकारी	1
5.	अनुभाग अधिकारी	2
6.	निजी सचिव	1
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-II		
1.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-III		
1.	वरिष्ठ सहायक	25
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
4.	निर्वाचन कानूनगो	70
5.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
6.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	80
7.	चालक	2
श्रेणी-IV		
1.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
2.	दफतरी	1
3.	चपडासी	77
4.	चौकीदार	12
कुल योग		303

9. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनमान :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान
1.	2.	3.
श्रेणी—I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रधान सचिव (निर्वाचन)	37400-67000+10000
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन विशेष सचिव (निर्वाचन)	37400-67000+8700 + 800 सचिवालय भत्ता
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	15600-39100+6600 + 800 सचिवालय भत्ता
4.	निर्वाचन अधिकारी	10300-34800+5400 + 400 सचिवालय भत्ता
5.	अनुभाग अधिकारी	10300-34800+5000 + 400 सचिवालय भत्ता
6.	निजी सचिव	10300-34800+5000 + 600 सचिवालय भत्ता
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	10300-34800+5000
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4400
श्रेणी—II		
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4200
श्रेणी—III		
10.	वरिष्ठ सहायक	10300-34800+3800 + 240 सचिवालय भत्ता (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ सहायकों के लिए)
11.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10300-34800+3800 + 240 सचिवालय भत्ता
12.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10300-34800+3200 + 150 सचिवालय भत्ता
13.	निर्वाचन कानूनगो	5910-20200+3000 + 100 विशेष भत्ता
14.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	5910-20200+2800 + 150 सचिवालय भत्ता

15.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	5910-20200+2800 (50%) 5910-20200+1900 (50%) मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ सहायकों के लिए 150/- रूपए तथा लिपिकों के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।
16.	चालक	5910-20200+2000 + 700 विशेष भत्ता
श्रेणी—IV		
17.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	4900-10600+1650 +100 सचिवालय भत्ता
18.	दफतरी	4900-10600+1650 +160 सचिवालय भत्ता
19.	चपड़ासी	4900-10600+1300 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चपड़ासियों के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।
20.	चौकीदार	4900-10600+1300 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चौकीदार के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।

10. समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा वितरण की रिपोर्ट दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग की एजेंसियों का बजट आबंटन।

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है तथा विभिन्न प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करता है। निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित योजनाएं, स्कीमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप कार्यान्वयन की जाती है। निधि प्रणाली तथा बजट पद्धति निम्न प्रकार से है :-

वित्त वर्ष 2011-2012 के लिए अनुपूरक अनुदान सहित स्वीकृत बजट, वित्त वर्ष हेतु किए गए पुनर्विनियोजन सहित कुल बजट प्रावधान तथा 31 मार्च, 2012 तक के अनुमानित व्ययों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

मांग संख्या	वित्त वर्ष हेतु स्वीकृत बजट (रूपये)	पुनर्विनियोजन/सहमति सहित कुल प्रावधान (रूपये)	वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप अनुमानित व्यय (रूपये)
17-निर्वाचन	8,71,95,000	13,34,95,300	12,80,11,270
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,30,000	5,12,000	5,12,200
31-जनजातीय विकास	67,63,000	80,36,000	76,92,300
कुल योग	9,42,88,000	14,20,43,300	13,62,15,770

- वित्त वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर, उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध बजट के दृष्टिगत अनुपातिक दर से आबंटन किया गया तथा मासिक आय/ व्ययों के संकलित विवरण भली-भान्ति तथा नियमानुसार तैयार किए गए।
- इसी वित्त वर्ष के दौरान आगामी वित्त वर्ष 2012-2013 हेतु निम्नलिखित बजट अनुमान वित्त विभाग/जनजातीय विकास विभाग को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये:-

मांग संख्या	वित्त वर्ष 2012-2013 हेतु अनुमानित बजट प्रावधान
17-निर्वाचन	21,45,44,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,25,000
31-जनजातीय विकास	1,38,94,000
कुल योग	22,91,63,000

- उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार को निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए कुल 6,31,54,000/- रुपये के बजट अनुमान भेजे गये।
- इसी प्रकार राज्य सभा निर्वाचनों हेतु वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए कुल 30,000/- रुपये के बजट अनुमान भी भारत सरकार को भेजे गये।
- वित्त वर्ष 2011-2012 के दौरान भारत सरकार से निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की पूर्ति हेतु अभी तक कुल 6,00,00,000/- रुपये की निधि बुक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध हुई तथा इसे विभागीय आय मुख्य लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन 800-अन्य प्राप्तियां 01-भारत सरकार के भाग की प्रतिपूर्ति से आय" के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु महालेखाकार कार्यालय, शिमला-171003 से अनुरोध किया गया।
- वित्त वर्ष के दौरान वित्त एवं जनजातीय विकास विभाग को विभाग से सम्बन्धित सभी मांगों के अधीन बजट प्रावधान एवं व्ययों पर नियन्त्रण के उद्देश्य से समय-समय पर आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाई गई।
- ऊपर वर्णित के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2011-2012 के आय/व्यय आंकड़ों का समय-समय पर लेखा कार्यालयों से मिलान किया गया तथा बजट एवं व्ययों सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, मान्य लोक लेखा समितियां, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग आदि सभी सम्बन्धित संस्थानों को उपलब्ध करवाई गई तथा नेमी कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित अन्य कार्यों का भी सम्पादन किया गया।

**गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 17—“निर्वाचन”**

लेखा शीर्ष : “2015—निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 102—निर्वाचन अधिकारी

01—मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग—I व II
103—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—01—विधान सभा
103—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—02—लोक सभा
104—01—लोक सभा / विधान सभा के एक साथ होने वाले निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी प्रभार
105—लोक सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार—01—लोक सभा
106—विधान सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार—01—विधान सभा
108—मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

**जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 31—“जनजातीय विकास”**

लेखा शीर्ष : “2015—निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01—मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग—I व II
02—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—विधान सभा
03—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—लोक सभा
04—विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
05—लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
08—मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
09—लोक सभा / विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार

11. आबंटित धनराशि सहित अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है। इस विभाग द्वारा कोई अनुदान धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है।

12. विभाग द्वारा प्रदान की गई छूट, परमिट अथवा प्राधिकार पाने वालों का विवरण :

विभाग के किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परमिट और प्राधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं।

13. विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण :

इस विभाग के पास 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची वेबसाईट "http://ceohimachal.gov.in" और "http://ceohimachal.nic.in" जनसाधारण की सूचनार्थ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नागरिकों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

14. नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी लाने हेतु तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावशाली कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हि.प्र. सूचना का अधिकार नियम 2006 बनाए है। नागरिक कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु 10/- के निर्धारित शुल्क के साथ सादा आवेदन कर सकता है।

15. जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद तथा अन्य विवरण :

राज्य मुख्यालय स्तर पर	
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	जन सूचना अधिकारी
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	सहायक जन सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	अपील प्राधिकारी
जिला मुख्यालय स्तर पर 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए	
अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त (इनमें से जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रभारी हो) उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	जन सूचना अधिकारी
(क) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर (उप मण्डल अधिकारी/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख) तहसीलदार (निर्वाचन)/नायब तहसीलदार (निर्वाचन), उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	

जनजातीय जिलों के लिए		
1.	जिला किन्नौर के लिए :	
	उपायुक्त किन्नौर के सहायक आयुक्त	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), किन्नौर	सहायक जन सूचना अधिकारी
2.	जिला लाहौल-स्पिति के लिए :	
(क)	लाहौल क्षेत्र के लिए :	
	उप मण्डल अधिकारी(ना.), केलंग	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), केलंग	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख)	काजा क्षेत्र के लिए :	
	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, काजा (स्थिति के अनुसार)	जन सूचना अधिकारी
	निर्वाचन कानूनगो, काजा	सहायक जन सूचना अधिकारी
	जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	अपील प्राधिकारी

16. विभाग की सामान्य सूचना :

वर्ष 2011-12 के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा अध्याय-II में वर्णित मुख्य कार्यों को सम्पादित करवाया गया है।

अध्याय—II

विभाग के संविधिक(स्टैचूटरी) कार्य

(क) मतदान केन्द्रों की स्थापना:

- लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2002 के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को समुचित संख्या में विभाजित करने के उपरान्त मतदान केन्द्रों की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति व मान्य संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं राजनैतिक दलों से पूर्व चर्चा के पश्चात् की गई।
- इन्हीं स्थापित मतदान केन्द्रों पर मतदाता लोक सभा एवं विधान सभा के विभिन्न निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के लिए मतदान करते हैं।
- मतदाता सूचियां मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती हैं। मतदान केन्द्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मतदाता सूचियों पर भी पड़ता है, अतः ये मतदान केन्द्र साधारणतया स्थाई तौर पर स्थापित किये जाते हैं तथा इनमें परिवर्तन किन्ही अपरिहार्य कारणों से ही आयोग की पूर्व अनुमति से किया जाता है।
- निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश का सदैव यह प्रयास रहा है कि समय-समय पर जनसाधारण को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जायें। इस आशय से कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, बिखरी जनसंख्या एवं जंगली क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, मतदाता सूचियों की तैयारी से पूर्व समय-समय पर जनसाधारण अथवा राजनैतिक दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों/सुझावों के अनुसार मतदान केन्द्रों के भवनों को बदला जाता है और यदि आवश्यक समझा जाए तो नए मतदान केन्द्र स्थापित कर इनमें वृद्धि की जाती है।
- इस समय प्रदेश में 7252 मतदान केन्द्र स्थापित हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों की पालना में जिला सोलन के 54-कसौली (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के 55-सनावर मतदान केन्द्र क्षेत्र में कुष्ठ रोग से ग्रस्त मतदाताओं की सुविधा हेतु निर्वाचन के समय एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया जाता है।

(ख) (1) फोटो मतदाता सूचियों की तैयारी :

- विभिन्न निर्वाचनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों एवम् निर्धारित कार्यक्रमानुसार करवाई जाती है। मतदाता सूचियों की तैयारी चार विधियों द्वारा सम्पन्न करवाई जाती है:- (1) गहन पुनरीक्षण, (2) संक्षिप्त पुनरीक्षण, (3) आंशिक गहन एवम् आंशिक संक्षिप्त पुनरीक्षण, (4) विशेष पुनरीक्षण। सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया जाता है। गहन पुनरीक्षण वाले वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त अथवा विशेष पुनरीक्षण ही करवाया जाता है। उक्त मतदाता सूचियां प्रत्येक वर्ष की प्रथम संक्षिप्त अथवा विशेष जनवरी को मतदाताओं की 18 वर्ष की आयु अहर्ता को आधार मानकर तैयार की जाती है।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मतदान केन्द्र वार तैयार की जाती हैं। मतदाताओं का डाटाबेस कम्प्यूटरीकृत है तथा स्थाई किस्म का है। गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रगणकों को घर-घर जाकर सत्यापन हेतु प्रारूप मतदाता सूचियां प्रदाय की जाती हैं। इनमें मृतक व अपात्र मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जबकि पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये सूचियां मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायतों में निर्धारित अवधि तक जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाती हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में मास जुलाई में प्रदेश के समस्त 7252 मतदान केन्द्रों के मतदाता रजिस्टर तैयार किये गये तथा दिनांक 14 जुलाई, 2011 से 28 जुलाई, 2011 तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर इन रजिस्ट्रों का सत्यापन किया गया।
- पूर्व सीमांकित 12-नालागढ़ तथा 16-रैणुका (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः श्री हरि नारायण सिंह तथा डा प्रेम सिंह विधायक की मृत्यु के परिणामस्वरूप रिक्त हुए पदों को भरने हेतु विधान सभा उप-निर्वाचन के संचालनार्थ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 24क के अन्तर्गत फोटो मतदाता सूचियां तैयार की गईं। उक्त फोटो मतदाता सूची का दिनांक 3 अक्टूबर तथा 15 अक्टूबर, 2011 को अन्तिम रूप से प्रकाशन किया गया। इन उप-निर्वाचनों में प्रयोग में लाई गई मतदाता सूचियों में कुल मतदाताओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार से थे:-

No. & Name of Assembly Constituency	General Electors			Service Electors			Total General + Service Electors		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
12-Nalagarh	34917	31853	66770	760	250	1010	35677	32103	67780
16-Rainka (SC)	27867	24317	52184	230	48	278	28097	24365	52462

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2011 के दौरान प्रदेश के 63 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 57-श्री रेणुका जी (अ.जा.) तथा 59-शिलाई के

अतिरिक्त) 1.1.2012 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समययावधि
1.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में) ।	1 अक्टूबर, 2011
2.	दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर) ।	1 अक्टूबर, 2011 से 8 नवम्बर, 2011
3.	फोटोयुक्त मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/अनुभाग, ग्राम सभा/स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा/सत्यापन किया जाना ।	8 अक्टूबर, 2011 व 11 अक्टूबर, 2011
4.	विशेष अभियान की तारीखें (सभी मतदान केन्द्रों पर) राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करना ।	9 अक्टूबर, 2011 16 अक्टूबर, 2011 व 23 अक्टूबर, 2011
5.	दावे/आक्षेपों का निपटारा ।	18 नवम्बर, 2011
6.	डाटाबेस अद्यतन,फोटोग्राफ मर्जिंग, कन्ट्रोल टेबल अद्यतन तथा अनुपूरक सूचियों की तैयारी एवम् मुद्रण	19 नवम्बर, 2011 से 24 दिसम्बर, 2011
7.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन।	5 जनवरी, 2012

- प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हक तिथि के आधार पर प्रदेश के 63 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 57-श्री रेणुका जी (अ.जा.) तथा 59-शिलाई के अतिरिक्त) दिनांक 01-10-2011 को प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूची में पुरुष 20,64,712 तथा 19,61,560 महिला मतदाता अर्थात् कुल 40,26,272 मतदाता थे । उपरोक्त पुनरीक्षण के दौरान 1,22,715 नए मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गये तथा 20, 601 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये । अतः प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 5 जनवरी, 2012 को अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 21,14,988 पुरुष तथा 20,13,398 महिला मतदाता अर्थात् कुल 41,28,386 मतदाता हो गए हैं ।
- पूर्व सीमांकित 12-नालागढ़ तथा 16-रेणुका (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों के कारण 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 57-श्री रेणुका जी (अ.जा.) तथा 59-शिलाई में प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हक तिथि के आधार

पर फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समययावधि
1.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन) सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में (।	15 दिसम्बर, 2011
2.	दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि) उपरोक्त सभी स्थानों पर (।	15 दिसम्बर, 2011 से 29 दिसम्बर, 2011
3.	फोटोयुक्त मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/अनुभाग ,ग्राम सभा/स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा/सत्यापन किया जाना ।	18 दिसम्बर, 2012
4.	विशेष अभियान की तारीखें) सभी मतदान केन्द्रों पर (राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करना ।	25 दिसम्बर, 2012
5.	दावे/आक्षेपों का निपटारा ।	5 जनवरी, 2012
6.	डाटाबेस अद्यतन,फोटोग्राफ मर्जिंग ,कन्ट्रोल टेबल अद्यतन तथा अनुपूरक सूचियों की तैयारी एवम् मुद्रण	06 जनवरी, 2012 से 18 जनवरी, 2012
7.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन ।	20 जनवरी, 2012

- प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हक तिथि के आधार पर प्रदेश के उक्त 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 15-12-2011 को प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूची में 1,59,053 पुरुष तथा 1,41,156 महिला मतदाता अर्थात् कुल 3,00,209 मतदाता थे । उपरोक्त पुनरीक्षण के दौरान 13,145 नए मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गये तथा 1305 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये। अतः प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 20 जनवरी, 2012 को अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 1,64,924 पुरुष तथा 1,47,125 महिला मतदाता अर्थात् कुल 3,12,049 मतदाता हो गए हैं । विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 के दौरान पूरे प्रदेश में 1,35,860 नए मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गये, जिसमें से दो प्रवासी मतदाता भी शामिल हैं, जो 03-चम्बा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त 21,906 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये। अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में प्रदेश में कुल 22,79,912 पुरुष तथा 21,60,523 महिला मतदाता अर्थात् कुल 44,40,435 मतदाता हो गए हैं । राज्य के 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियों का डाटा परिशिष्ट 'क' पर संलग्नित है ।

- आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी विभागीय बैवसाईट पर उपलब्ध करवाई गई ।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 के बारे में जनसाधारण को जानकारी प्रदाय करने एवम् व्यापक प्रचार के लिए पोस्टर, प्रैस नोट और विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किये गये । इसके साथ-साथ सम्बन्धित जिला सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों(उपायुक्तों), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ए.डी.एम./ एस.डी.एम.) द्वारा भी न्यूज आईटम और प्रैस नोट जारी करके फील्ड में व्यापक प्रचार किया ताकि पात्र व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूचियों में सम्मिलित किया जा सके और मृत तथा स्थान परिवर्तित मतदाताओं के नामों को सूचियों से हटाया जा सके।

(2) सेवा अर्हता मतदाता:

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष मतदाता सूचियों के अन्तिम भाग के 2 अनुपूरक तैयार किये जाते हैं। पहला अनुपूरक, अभिलेख कार्यालयों से प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक प्राप्त आवेदन प्ररूपों पर 31 जनवरी को अन्तिम रूप से मुद्रित किया जाता है। तदोपरान्त 1 जनवरी से 30 जून तक प्राप्त आवेदन प्ररूपों पर 31 जुलाई को दूसरा अनुपूरक मुद्रित किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में वर्ष 2011 का दूसरा अनुपूरक 31 जुलाई, 2011 को किया गया जिसका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है। वर्ष 2011 का पहला अनुपूरक 1 जुलाई, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक अभिलेख कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों पर 31 जनवरी, 2012 को मुद्रित किया गया जिनका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर दर्शाया गया है। 31-1-2012 तक राज्य में कुल 74,992 सेवा अर्हता मतदाता हो गये हैं।

(ग) (1) सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) योजना के तहत प्रचार :

- प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हता तिथि को आधार मानते हुए वर्ष 2011 में फोटो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु दिनांक 1 सितम्बर, 2011 से 1 नवम्बर, 2011 तक पूर्व की भान्ति एक मतदाता जागरण अभियान चलाया गया जिसके तहत निम्न कार्य किये गये :-
 - "मजबूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी" फोटो मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए मार्गदर्शिका" का मुद्रण कर समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को वितरित की गई।
 - दिनांक 26 जुलाई, 2011 को मुख्यालय स्तर पर विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित विभागों के प्रतिनिधियों से पात्र व्यक्तियों के शतप्रतिशत पंजीकरण में आम जनता को जागरूक करने में उनके सहयोग हेतु आग्रह किया गया।

- श्री एम.एस.धोनी के सन्देश को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 के दौरान पात्र व्यक्तियों के शतप्रतिशत पंजीकरण के उद्देश्य से आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण किया गया।
 - मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया बारे आम जनता और मतदाताओं को जागरूक करने के सम्बन्ध में एक अभियान के तहत दिनांक 22 से 30 सितम्बर, 2011 और 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22, 24, 26, 28 व 30 अक्टूबर, 2011 तक दूरदर्शन केन्द्र, शिमला से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।
 - इसी प्रकार दिनांक 22 से 30 सितम्बर, 2011 और 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29 व 31 अक्टूबर, 2011 तक आकाशवाणी केन्द्र, शिमला से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।
 - दिनांक 2 नवम्बर, 2011 से 8 नवम्बर, 2011 तक 95.0 BIG FM, Reliance Broadcast Network Ltd. व OYE 104.8 FM, TV Today Network Ltd. के माध्यम से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी Audio Jingle का प्रसारण किया गया।
 - आकाशवाणी, शिमला द्वारा हिन्दी गृह पत्रिका 'श्यामला' का प्रकाशन किया गया जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2012 से सम्बन्धित एक "अपील" विज्ञापन के रूप में प्रकाशित की गई।
 - बूथ लेवल अधिकारियों के विवरण यथा, नाम, दूरभाष नम्बर इत्यादि की जानकारी समस्त आम जनता एवं मतदाताओं तक पहुंचाने हेतु एक अभियान के अन्तर्गत "अपने बूथ लेवल अधिकारी को जाने" एवं "Know your BLO" शीर्षक से विज्ञापन तैयार कर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित किया गया। इसी क्रम में टोल फ्री नम्बर "1950" का भी इन विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार किया गया।
 - एक अन्य विज्ञापन "हाँ, हम पंजीकृत मतदाता हैं, क्या आप हैं" व "Yes, we have been registered! Have You?" शीर्षक से विज्ञापन तैयार कर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित किया गया।
- उक्त के अतिरिक्त जिला व उप मण्डल स्तर पर भी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) एवं निर्वाचन कानूनगो ने विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु भरपूर प्रयास किये।

(2) सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP)-द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2012:

- आम जनता में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति उत्साह जगाने, मताधिकार के महत्व, मतदाता के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में मतदाताओं विशेषतय युवा मतदाताओं की भूमिका से भी अवगत करवाने के उद्देश्य से दिनांक 25 जनवरी, 2012 को राज्य, जिला तथा मतदान केन्द्र स्तर पर दूसरे "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" समारोह

का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग के निर्देशानुसार नव पंजीकृत मतदाताओं को उनके सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर आयोग के द्वारा निर्धारित बैज (Badge) व मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर मतदाताओं को वितरित मतदाता फोटो पहचान पत्रों का जिलावार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

जिला का नाम	राज्य में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र स्थलों की संख्या जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया	नये पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जिन्हें फोटो पहचान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया
1	2	3	4
1. चम्बा	572	531	6013
2. कांगड़ा	1545	1309	8657
3. लाहौल और स्पिति	89	86	789
4. कुल्लू	474	444	7730
5. मण्डी	1064	962	17176
6. हमीरपुर	514	389	7466
7. ऊना	500	365	2903
8. बिलासपुर	351	331	7468
9. सोलन	515	464	13193
10. सिरमौर	518	468	5296
11. शिमला	992	852	7990
12. किन्नौर	118	112	1160
कुल योग	7252	6313	85841

- उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर एवं जिला शिमला का जिला स्तरीय समारोह पूर्व की भान्ति ही संयुक्त रूप से मल्टिपर्पस हॉल, गेयटी थियेटर कॉम्प्लेक्स, शिमला में मनाया गया। महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्रीमती उर्मिला सिंह जी इस समारोह की मुख्य अतिथि थीं। राज्य स्तरीय समारोह में भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ज्ञान-विज्ञान समिति के सांस्कृतिक दलों द्वारा "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के उद्देश्य पर केन्द्रित एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने व मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मतदाता जागरण अभियान के द्वितीय चरण जो कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 से 25 जनवरी, 2012 तक चलाया गया था, के तहत निम्न कार्य किये गये :-
 - राष्ट्रीय मतदाता दिवस से सम्बन्धित जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का दूरदर्शन केन्द्र व आकाशवाणी, शिमला से प्रसारण किया गया।
 - श्री एम.एस.धोनी के सन्देश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सन्दर्भ में दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया गया।
 - राज्य में प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस से सम्बन्धित विज्ञापनों को विज्ञापित किया गया।
 - दिनांक 25 जनवरी, 2012 को विभिन्न स्तरों पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा भांगड़ा, लोक नृत्य, नृत्य नाटिकाओं, करियाला, गिद्दा और वाद-विवाद

प्रतियोगिताओं जोकि "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के उद्देश्य पर केन्द्रित थे, का आयोजन किया गया।

(घ) मतदाता फोटो पहचान पत्र:

- वित्त वर्ष-2011-2012 के आरम्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति निम्न प्रकार से थे :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
44,45,439	43,78,126 (98.49%)	43,94,776 (98.86%)	67,313 (1.51%)

- भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुरूप राज्य के शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने एवं मतदाता सूची में 100% फोटो व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माह जून-2011 में अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अवशिष्ट मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान तैयार करने के लिए फोटोग्राफी/पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किए गए। इन नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त फोटो से अवशिष्ट मतदाताओं के 22,309 और नव पंजीकृत मतदाताओं के 14,499 कुल 36,808 पहचान पत्र तैयार कर सम्बन्धित मतदाताओं में वितरित किए गए। इस अभियान के परिणाम स्वरूप मतदाता सूची में मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति एवं फोटो व्याप्ति में क्रमशः 1.50% एवं 1.13% की वृद्धि दर्ज की गई तथा प्रदेश के 68 में से 65 सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 100% मतदाता, फोटो व्याप्ति व मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।
- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01.01.2012 अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाया गया जिसके लिए दिनांक 01.10.2011 को प्रारूप में प्रकाशित की गई मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति निम्न प्रकार से थी :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
43,26,481	43,26,072 (99.99%)	43,26,121 (99.99%)	409 (0.01%)

- मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 के दौरान नए पंजीकृत मतदाताओं के 1,37,429, अवशिष्ट मतदाताओं के 155 तथा 17,162 डुप्लीकेट कुल 1,54,746 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। 01.01.2012 अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 05-01-2012 व 20-01-2012 को अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में प्रदेश के समस्त 68 सभा निर्वाचन

क्षेत्रों में 100% फोटो व्याप्ति व मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति
44,40,435	44,40,435 (100%)	44,40,435 (100%)

- तदोपरान्त दिनांक 31-03-2012 तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 9,471 तथा 5,777 डुप्लीकेट कुल 15,248 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं।
- इस प्रकार इस वित्त वर्ष के दौरान नए पंजीकृत मतदाताओं के 1,61,399 अवशिष्ट मतदाताओं के 22,464 तथा 22,939 डुप्लीकेट कुल 2,06,802 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं।
- वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूची में 100% पहचान पत्र व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(ड.) राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति निर्वाचन:

भारत के संविधान में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों का प्रावधान है (अनुच्छेद 52 व 63), जिनके निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में करवाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 324 में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उक्त निर्वाचक मण्डल (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों पर आधारित होता है। इसी प्रकार उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रपति निर्वाचन में लोक सभा एवं राज्य सभा के महासचिव चक्रानुक्रम (रोटेशन) में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तथा लोक सभा / राज्य सभा के अतिरिक्त / संयुक्त सचिव एवं समस्त राज्य विधान सभाओं के सचिव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं। संसद एवं राज्य विधान सभाओं के परिसरों में मतदान के लिये स्थान निर्धारित किया जाता है। उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त / संयुक्त सचिव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और संसद भवन परिसर में ही मतदान के लिए स्थान नियत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 702 एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 51 निर्धारित है। राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में करवाये जाते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाये जाते हैं।

वर्ष 2011-2012 में राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति पद हेतु कोई भी निर्वाचन नहीं करवाये गये हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन जुलाई, 2012 में करवाये जाने हैं।

(च) राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन :

हिमाचल प्रदेश को राज्य सभा में कुल तीन सीटें आंबटित हैं। राज्य सभा संसद का स्थाई सदन होने तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होने के कारण प्रत्येक 2 वर्षीय अवधि में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् एक सदस्य रिटायर होता है जिसकी रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन करवाये जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और विधान सभा सदस्यों द्वारा मतदान के लिए स्थान भी विधान सभा परिसर में ही निर्धारित किया जाता है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर राज्य सभा सदस्य के दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को अपनी पदावधि के अवसान पर निवृत्त होने के फलस्वरूप एक रिक्ति हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 के अन्तर्गत राज्य सभा की एक सीट के लिए निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम जारी किया:-

(1)	निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना	3 मार्च, 2012 (शनिवार)
(2)	नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	19 मार्च, 2012 (सोमवार)
(3)	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	20 मार्च, 2012 (मंगलवार)
(4)	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	22 मार्च, 2012 (वीरवार)
(5)	मतदान की तिथि	30 मार्च, 2012 (शुक्रवार)
(6)	मतदान का समय	9 बजे प्रातः से 4.00 बजे सांय तक
(7)	मतगणना की तिथि व समय	30 मार्च, 2012 (शुक्रवार) 5.00 बजे सांय
(8)	निर्वाचन सम्पन्न किये जाने की तिथि	1 अप्रैल, 2012 (रविवार)

उपरोक्त निर्वाचनों के लिए मतदान का स्थान डा0वाई0एस0परमार विधान सभा लाईब्रेरी हाल में नियत किया गया था तथा मतदान 9.00 पूर्वाहन से 4.00 बजे अपराहन तक विनिर्दिष्ट किया गया था। इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिला बिलासपुर के नाम निर्देशन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी दल के किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया। परिणामतः श्री जगत प्रकाश नड्डा (भारतीय जनता पार्टी) राज्य सभा के लिए निर्विरोध सदस्य निर्वाचित घोषित हुए। वर्तमान में निम्नलिखित सांसद हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं :-

1.	श्री शान्ता कुमार (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2008 से
2.	श्रीमती बिमला (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2010 से
3.	श्री जगत प्रकाश नड्डा (भारतीय जनता पार्टी)	22-3-2012 से

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सदस्यों की दलीय स्थिति

राजनैतिक दल का पूरा नाम	सदस्यों की संख्या	विधान परिषद	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4
1. भारतीय जनता पार्टी	41	—	—
2. इंडियन नेशनल काँग्रेस	23	—	—
3. निर्दलीय	3	—	—
4. रिक्त	1	—	—
कुल	68		

(छ) विधान सभा उप निर्वाचन:

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 12-नालागढ़ तथा 16-रेणका(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को शान्तिमय, निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पन्न करवाये गये:-

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	05 नवम्बर, 2011 (शनिवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	12 नवम्बर, 2011 (शनिवार)
3. नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	14 नवम्बर, 2011(सोमवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	16 नवम्बर, 2011 (बुधवार)
5. मतदान की तारीख	30 नवम्बर, 2011(बुधवार)
6. मतगणना की तारीख	04 दिसम्बर, 2011(रविवार) (आरम्भ प्रातः 8.00 बजे से)
7. निर्वाचन सम्पन्नता की तारीख	07 दिसम्बर, 2011 (बुधवार)
8. मतदान का समय	(प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)

विधान सभा उप-निर्वाचन-2011 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना निम्न प्रकार से है:-

	12-नालागढ़	16-रेणका(अ0जा0)
1. मतदान केन्द्रों की संख्या	86	86
2. मतदाताओं की संख्या	67780	52473
3. मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या एवं प्रतिशतता	56000 83.86%	39157 75.02%
4. कुल नामांकन पत्रों की संख्या	2	5
5. अभ्यर्थिता वापिस लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	0	2
6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	2	3
7. प्रति मतदान केन्द्र की दर से औसत मतदाताओं की संख्या	776	607
8. मतदान की तिथि	30.11.2011	30.11.2011
9. मतगणना की तिथि	4.12.2011	4.12.2011

12-नालागढ़ तथा 16-रेणका(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन-2011 में निम्नलिखित अभ्यर्थी निर्वाचित हुए थे:-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	दल सहबद्धता
1	2	3
12-नालागढ़	श्री लखविन्दर सिंह राणा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
16-रेणका(अ0जा0)	श्री हृदय राम	भारतीय जनता पार्टी

अध्याय-III प्रशासनिक कार्य

(क) स्थापना सम्बन्धी कार्य:

(I) अधिकारी व कर्मचारी वर्ग:

निर्वाचन विभाग में दिनांक 31-3-2012 को विभिन्न श्रेणियों के 303 पद स्वीकृत थे।

उपरोक्त 303 स्वीकृत पदों में से दिनांक 31-3-2012 को विभिन्न श्रेणियों के 33 पद निम्न विवरणानुसार रिक्त थे :-

1.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
3.	निर्वाचन कानूनगो	8
4.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
5.	लिपिक	16
6.	चपड़ासी	4
7.	चौकीदार	2
योग :-		33

इसके अतिरिक्त विभाग में दिनांक 31.3.2012 को निम्न पद अनुबन्ध आधार पर, दैनिक भोगी आधार पर तथा अंशकालिक आधार पर स्वीकृत हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर स्वीकृत है	जिस कार्यालय हेतु स्वीकृत है
1.	2.	3.	4.	5
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर= 1	श्रेणी-III	अनुबन्ध आधार पर।	निर्वाचन विभाग मुख्यालय हेतु।
2.	चौकीदार= 1	श्रेणी-IV	दैनिक भोगी दर पर	जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला के ठियोग स्थित निर्वाचन भण्डार की देखरेख हेतु।
3.	सफाई कर्मचारी= 14	श्रेणी-IV	दैनिक भोगी दर पर= 6 अंशकालिक दर पर= 5 आऊटसोर्स = 3	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों तथा उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, काज़ा हेतु एक-एक की दर से।

उक्त स्वीकृत पदों में से ठियोग के लिए दैनिक भोगी चौकीदार का एक पद रिक्त है।

(II) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया:-

क्र. सं.	बैठक के आयोजन की तिथि	बैठक का स्थान	जिस प्रयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया
1.	3-6-2011	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2	तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
2.	3-6-2011	-यथो-	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-II(राजपत्रित) के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
3.	8-9-2011		
4.	30-3-2012		
5.	4-5-2011	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, ब्लॉक नम्बर-38, एसडीए कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009.	वरिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
6.	1-9-2011	-यथो-	निर्वाचन कानूनगो के रिक्त पदों की सेकण्डमेंट आधार पर पूर्ति करने बारे।
7.	24-10-2011		
8.	4-1-2012		
9.	12-1-2012		
10.	12-12-2011	-यथो-	प्रतिलिपि यन्त्र चालक के रिक्त पद की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
11.	29-12-2011	-यथो-	दफ्तरी के रिक्त पद की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
12.	10-5-2011	-यथो-	तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा में पुष्टि/स्थाईकरण करने बारे।
13.	5-11-2011		

(III) रिक्त पदों की पूर्ति :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके निम्न पदों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति की गई है:-

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई	भर्ती एजेन्सी/ प्राधिकरण
1.	निर्वाचन कानूनगो = 1	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	अनुबन्ध आधार पर= 1	हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से।
2.	लिपिक = 17	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	अनुबन्ध आधार पर=17	हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरप्लस पूल से उपलब्ध करवाये गये कुल 4 चपड़ासी कम चौकीदार के रिक्त पदों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके पूर्ति की गई है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के कम्प्यूट्राईजेशन कार्य हेतु सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके एक कम्प्युटर प्रोग्रामर की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके NIELIT, शिमला से आऊटसोसिंग आधार पर पूर्ति की गई है। विभाग में निम्न कम्प्यूटर प्रोफेशनल NIELIT, शिमला से आऊटसोसिंग आधार पर कार्यरत है:-

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर=3	श्रेणी-I (राजपत्रित)	NIELIT, चण्डीगढ़ केन्द्र शाखा कार्यालय, शिमला के माध्यम से आऊटसोसिंग आधार पर।
2.	कम्प्यूटर ऑपरेटर=2	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	NIELIT, चण्डीगढ़ केन्द्र शाखा कार्यालय, शिमला के माध्यम से आऊटसोसिंग आधार पर।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र. सं.	श्रेणी	भरे गए रिक्त पदों की संख्या
1.	तहसीलदार (निर्वाचन)	3
2.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	3
3.	वरिष्ठ सहायक	2
4.	निर्वाचन कानूनगो	3
5.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
6.	दफतरी	1
योग:-		13

इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभाग को निर्वाचन कानूनगो तथा लिपिकों के रिक्त पदों को प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अधीन अनुबन्ध आधार पर पूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस बारे 9 निर्वाचन कानूनगो तथा 8 लिपिकों हेतु अध्यपेक्षा (requisition) सचिव, अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर तथा रोजगार कार्यालय (भूतपूर्व सैनिक सैल), हमीरपुर को भेज दी गई है। उक्त पदों की पूर्ति बारे प्रक्रिया जारी है।

(IV) अधिनियमों/नियमों का अधिनियमन:

निर्वाचन विभाग के अपने कोई भी नियम/अधिनियम नहीं है। परिणामतः विभाग केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्वाचनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों/अधिनियमों/अनुदेशों के अधीन कार्य करता है।

निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन अद्यतन रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग का प्रशासनिक कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों एवं अनुदेशों तथा हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत जारी किए गए विभागीय स्थाई आदेशों के अधीन संचालित किया जाता है।

(V) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

(i) पृष्ठभूमि:— भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (15 जून, 2005 को अधिसूचित किए जाने के 120 वे दिन) को लागू हुआ था। यह अधिकार बोलने के अधिकार तथा जीवनयापन के अधिकार के आधार पर तैयार किया गया है। इस अधिनियम की यह अपेक्षा है कि जन सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदान करें। यदि कोई जन सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित सूचना प्रदाय नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने से इनकार किया गया है। जन सूचना अधिकारी के लिए मामले के निपटान हेतु समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि से आरम्भ होगी। जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय न करने की स्थिति में आवेदक अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उसे प्रदाय न करने की स्थिति में दोषी जन सूचना अधिकारियों पर 250/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण किए जाने का प्रावधान है, यदि वे बिना किसी कारण के दोषी पाए जाते हैं। दण्ड की अधिकतम राशि 25,000/-रूपए तक हो सकती है।

(ii) सूचना प्राप्त करने हेतु फीस/शुल्क: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदाय करने हेतु अपने नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार आवेदन पत्र का शुल्क 10/-रूपए निर्धारित किया गया है। सूचना तैयार होने पर इसकी कीमत निम्न प्रकार से है:—

1	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो।	प्रकाशित मूल्य पर
2	समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त	ए-4 आकार तथा इससे छोटे आकार के लिए 2/-रूपए प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत जो कम से कम 20/-रूपए प्रति पृष्ठ होगी।
3	जहां सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी हो, जैसे फ्लापी, सी. डी. इत्यादि।	50/-रूपए प्रति फ्लापी और 100/-रूपए प्रति सी. डी.।
4	रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए शुल्क	20/-रूपए प्रति 30 मिनट अथवा इसके अंश के लिए।

रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात् 1-4-2011 से 31-3-2012 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों से विभाग में कुल 43 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट "घ" पर संलग्न हैं।

(VI) अधिकारियों व कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां :

विभाग के सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 1-1-2011 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां उपलब्ध हैं। दिनांक 1-1-2012 की अर्हता तिथि के आधार पर सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूचियां तैयार करके दिनांक 30 जनवरी, 2012 को दावे एवं आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त दावों एवं आक्षेपों का निपटारा करने के उपरान्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिनांक 1-1-2012 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

(VII) अनुशासनहीनता के मामले :

विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता/अभियोजन स्वीकृति इत्यादि का कोई मामला नहीं है।

(VIII) सतर्कता मामले :

विभाग में इस समय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता से सम्बन्धित कोई भी मामला नहीं है।

(IX) न्यायालय मामले :

निर्वाचन विभाग द्वारा जारी सेवा सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध दिनांक 31.3.2011 को माननीय न्यायालय में 2 मामले विचाराधीन थे। दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2012 तक की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तीन नये मामले दायर हुये जबकि उक्त अवधि के दौरान 1 मामले का माननीय न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया। उक्त मामलों का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ओ.ए./सीडब्ल्यू संख्या तथा दिनांक	न्यायालय मामले का संक्षेप में विवरण	उत्तर दायर करने की तिथि	अभियुक्ति/ निपटारे की तिथि
1.	हि.प्र. राज्य निर्वाचन कानूनगो संघ।	99/2008 11-1-2008	तहसीलदार (निर्वाचन) के प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन बारे।	06-02-2008	-
2.	श्री खूब सिंह चपड़ासी।	सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर-100/2009	दैनिक भोगी रूप में 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि से नियमितकरण करने बारे।	25-02-2009	16-5-2011
3.	श्रीमती कमलेश शर्मा, पूर्व दैनिक भोगी कर्मचारी।	सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर-8853/ 2011	Regarding appointment as regular clerk.	24-10-2011	-
4.	श्री राजेश कौण्डल, निर्वाचन कानूनगो	सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर-8356/ 2011	Regarding Non-Issuance of NOC for appearing in SAS examination due to non-ministerial category.	30-09-2011	-
5.	श्री बलदेव दास, कनिष्ठ सहायक।	एलपीए संख्या 149/2011	LPA in CWP (T) 13199/08 Baldev Dass Vs State	22-12-2011	-

वर्तमान में क्रम संख्या-1, 3, 4 व 5 पर वर्णित 4 मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(X) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना व ई-समाधान को लागू करना :

जन शिकायत निवारण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना मुख्यालय व समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में कर दी गई है। उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठों को जन-साधारण की सुविधा हेतु ई-समाधान साफ्टवेयर द्वारा इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है। ई-समाधान साफ्टवेयर के सुचारु रूप से संचालनार्थ सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है ताकि जन-साधारण से प्राप्त शिकायतों का ई-समाधान के द्वारा तुरन्त निवारण हो सकें। प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

PENDENCY SUMMARY (Grievance)

	Total			Pendency:: Max. Redressal Time				
	Recv	Disp	Pend	Not Exceeded	7 days	8-15 days	16-30 days	> 30 days
Selected Department								
<u>ELECTION</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Office Level								
<u>Head Office</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>District Office</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Sub Division Office</u>	<u>61</u>	<u>61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

(XI) वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) :

कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख को on-line update किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की 243 सेवा पंजिकाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(XII) प्रशिक्षण :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: पर(ट्रेनिंग)बी(12)-6/2007, दिनांक 1 जुलाई, 2009 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 2009" अधिसूचित की गई थी, जो प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पर(ट्रेनिंग)बी(12)-6/2007, दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समस्त विभागों को क्रियान्वयन हेतु भेजी गई थी। उक्त प्रशिक्षण नीति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण का मसौदा तैयार करके विभागीय प्रशिक्षण पुनरीक्षण समिति के (Departmental Training Review Committee) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया

गया। उक्त समिति द्वारा प्रशिक्षण मसौदे को अनुमोदित करने के उपरान्त विभाग द्वारा अनुपालना रिपोर्ट प्रधान सचिव (प्रशिक्षण) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभाग द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-2013 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके आयोग को भेजा गया।

(ख) लेखा परीक्षा मामले :

निर्वाचन विभाग मुख्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2011-2012 में कुल 5 रिपोर्ट व 8 पैरे थे जिनमें से 3 रिपोर्ट और 6 पैरों का निपटारा अन्तिम रूप से किया जा चुका है। शेष 2 रिपोर्टों तथा 2 पैरों के निपटारे हेतु विभाग प्रयासरत है।

(ग) भण्डार एवं सामग्री :

वर्ष 2011-2012 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2012 को अर्हक तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्ररूपों का मुद्रण सरकारी प्रैस से करवाकर दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को समस्त जिलों को वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की विभागीय स्तर पर बहु प्रतियां करवाने हेतु लेजर टोनर भी प्रदाय किए गए।

12-नालागढ़ व 16-रेणुका(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन के उप निर्वाचनों के लिए प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के प्ररूप व लेखन सामग्री का क्रय हि0प्र0 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से किया गया। उक्त उप निर्वाचनों के संचालनार्थ 250 बैटरी पैक, 1000 ग्रीन पेपर सील, 1000 पीक पेपर सील, 440 शीशी अमिट स्याही और और 850 ऑटर पेपर स्ट्रीप सील भी प्रदाय की गई। निर्वाचन सामग्री जिला सोलन और सिरमौर स्थित नाहन को समय पर प्रदाय की गई।

विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु 26 कम्प्यूटर, 20 लैपटोप, 11 प्रिन्टर, 02 सरवर और 20 बार कोड रीडर हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से क्रय किए गए। उक्त सभी वस्तुएं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हि0 प्र0 से अनुमोदन प्राप्त करके क्रय की गई।

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों के लिए 70 कम्प्यूटर मेज व कुर्सियों का क्रय हि0प्र0 सामान्य उद्योग निगम से किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय, लाहौल-स्पिति व किन्नौर के लिए दो डीजल जनरेटर खरीदे गए ताकि निर्वाचनों का कार्य/संचालन सुचारू रूप से हो सके।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गत वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2012 को राज्य स्तरीय समारोह गेयटी थियेटर, शिमला में मनाया गया। इसके अतिरिक्त जिला से लेकर बूथ स्तर तक भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। नए पंजीकृत मतदाताओं को सम्मानित करने हेतु 60,400 बैज तैयार किए गए और बूथ स्तर तक इनका समय पर वितरण किया गया।

निर्वाचन विभाग में नेमी कार्य को वर्षभर सुचारु रूप से चलाने हेतु लेखन सामग्री व सर्वव्यापी प्ररूप, विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रों का क्य हि0प्र0 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से किया गया और सभी जिलों को समय पर वितरण किया गया।

(घ) विभाग में कम्प्यूटीकरण:

निर्वाचन विभाग का लगभग पूर्णतया कम्प्यूटीकरण हो चुका है। मुख्यालय में लगभग सभी कार्य कम्प्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। कम्प्यूटीकृत मुख्य कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है:

1. मतदाता सूचियों का कम्प्यूटीकरण।
2. मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य।
3. विधानसभा क्षेत्रों के उप-चुनावों के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण।
4. विभागीय बैवसाईट को अपडेट व विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध करना।
5. विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. सामान्य कार्यालय पत्र व्यवहार।

- मतदाता सूचियों का कम्प्यूटीकरण विभाग द्वारा अपने स्तर पर किया गया है। मतदाता सूचियों की डाटा एन्ट्री का कार्य जिला मुख्यालय व उप-मण्डल स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है और मतदाताओं का डाटा HIMSWAN Internet के माध्यम से DIT के डाटा सैन्टर के सर्वर में सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जाता है।

- 4-डलहौजी, 41-चिन्तपूर्णी व 44-ऊना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Residual Electors के Notice Slips तैयार करके सभी चम्बा व ऊना जिलों को प्रदान की गईं ताकि इन निर्वाचकों की फोटोग्राफी की जा सके। अब हिमाचल प्रदेश ने मतदाता सूचियों में 100% फोटो व्याप्ति तथा 100% EPIC का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय ERMS-Software में डाटा एन्ट्री करना, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फार्म-6, 6क, 7, 8 व 8क की approval/rejection

करना, फोटो को डाटाबेस में merge करना, EPICs को generate व प्रिंट करना व मतदाता सूचियों की PDF Files तैयार करने का प्रशिक्षण सभी जिलों के नव-नियुक्त कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

- 12-नालागढ़ व 16-रैणका (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्रों के उप-चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार किया गया। इन उप-चुनावों में मतदान के दिन सभी मतदान केन्द्रों से विभिन्न प्रकार का डाटा बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा **SMS** के द्वारा भेजा गया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र विभागीय बैवसाइट पर अपलोड किये गये।

- सेवा अर्हता मतदाताओं के वर्ष 2011 के अनुपूरक-2 तथा वर्ष 2012 के अनुपूरक-1 की मतदाता सूचियों को तैयार करके सभी जिलों को प्रदान की गई।

- 68-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में नव-नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के पहचान पत्र तैयार करके जिलों को प्रदान किये गये।

- विभाग द्वारा अपनी बैवसाइट <http://ceohimachal.nic.in> तैयार की गई है जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध है। सभी मतदाताओं का डाटाबेस भी इस बैवसाइट पर डाला गया है जिसमें मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों को पी.डी.एफ. फॉरमेट में बैवसाइट पर डाला गया है।

- ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को विभागीय बैवसाइट पर प्रदान की गई है। इस सुविधा से हिमाचल के नागरिक इन्टरनेट के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन (फार्म-6), मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन (फार्म-7), मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि में विद्यमान त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवेदन (फार्म-8) व मतदाता सूची में प्रविष्टि को सभा निर्वाचन क्षेत्र में अन्यत्र रखने के लिए आवेदन (फार्म-8क) भर सकते हैं।

- मतदाता सूचियों में नाम ढूंढने के लिए बनाये गए सॉफ्टवेयर को modify किया गया।

- सभी जिलों के कर्मचारियों को PMIS(Personal Monitoring Information System) और e-Samadhan (Online Public Grievance Monitoring System) में काम करने के प्रशिक्षण को दिया गया।

- सभी जिलों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों(EROs), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs), निर्वाचन कानूनगो व कर्मचारियों को ERMS-Software, Digital Signature Card (DSC), E-Registration, SMS Based Poll Day

Monitoring Software, Web Casting, EVM Data Entry Software और Public Grievance Redressal System (PGRS) में काम करने का प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के मुख्यालयों में दिया गया।

• काल सैन्टर की सुविधा:-

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के मतदाताओं एवं अन्य सम्बन्धितों की सुविधा के लिए शिमला मुख्यालय में एक टोल फ्री काल सैन्टर स्थापित किया गया है। टोल फ्री काल सैन्टर का नम्बर 1950 है जिस पर निम्न प्रकार से फोन किया सकता है:-

हिमाचल प्रदेश राज्य से - 1950 (लैन्डलाईन व मोबइल फोन से)

हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से - 01771950 (लैन्डलाईन व मोबइल फोन से)

इस काल सैन्टर में लोग निर्वाचन सम्बन्धित शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं उदाहरणतयः प्रदेश की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन संचालन सम्बन्धी कुरीतियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों सम्बन्धी जानकारी या विभाग के बारे में प्रश्न कर सकते हैं।

सर्वसाधारण अपनी शिकायतें इन्टरनेट के माध्यम से भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (<http://ceohimachal.nic.in>) के लिंक "Public Grievance Redress related to Elections" पर दर्ज कर सकते हैं।

(ड.) कार्यालयों का निरीक्षण:

वर्ष-2011-12 के दौरान सम्बन्धित जिलों के तहसीलदार/नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) द्वारा उनके अधीनस्थ उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ड." पर है।

(च) मतदाता सूचियों व मतदाता फोटो पहचान पत्रों से सम्बन्धित शिकायतें :

वर्ष-2011-12 के दौरान मतदाता सूचियों व मतदाता फोटो पहचान पत्रों से सम्बन्धी कुल 67 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "च" पर है।

AC-WISE ELECTORS AS ON 05-01-2012 & 20-01-2012 WITH REFERENCE TO QUALIFYING DATE 01-01-2012				
REVISION OF ELECTORAL ROLLS, 2012				
Assembly Constituency		General Electors		
No.	NAME	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Chamba				
1	Churah (SC)	30750	28890	59640
2	Bharmour (ST)	32712	29660	62372
3	Chamba	34033	32733	66766
4	Dalhousie	30577	28013	58590
5	Bhattiyat	31829	29979	61808
Distt. Total :		159901	149275	309176
District Kangra				
6	Nurpur	37216	34385	71601
7	Indora (SC)	37527	34050	71577
8	Fatehpur	35754	33811	69565
9	Jawali	39942	38655	78597
10	Dehra	33632	33485	67117
11	Jaswan-Pragpur	33277	31986	65263
12	Jawalamukhi	31703	30554	62257
13	Jaisinghpur (SC)	33747	35875	69622
14	Sullah	41553	42569	84122
15	Nagrota	36648	35269	71917
16	Kangra	33784	31979	65763
17	Shahpur	35358	33960	69318
18	Dharamshala	31809	29388	61197
19	Palampur	31161	29614	60775
20	Baijnath (SC)	36047	35286	71333
Distt. Total :		529158	510866	1040024
District Lahual & Spiti				
21	Lahual & Spiti (ST)	10896	10775	21671
Distt. Total :		10896	10775	21671
District Kullu				
22	Manali	30693	29050	59743
23	Kullu	37348	34820	72168
24	Banjar	30976	28897	59873
25	Anni (SC)	36664	33445	70109
Distt. Total :		135681	126212	261893

Assembly Constituency		General Electors		
No.	NAME	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Mandi				
26	Karsog (SC)	31069	28703	59772
27	Sundernagar	33853	32010	65863
28	Nachan (SC)	35003	33880	68883
29	Seraj	34913	32406	67319
30	Darang	36531	34466	70997
31	Jogindernagar	40616	41177	81793
32	Dharampur	32155	33718	65873
33	Mandi	30950	31397	62347
34	Balh (SC)	31898	31638	63536
35	Sarkaghat	36808	36905	73713
Distt. Total :		343796	336300	680096
District Hamirpur				
36	Bhoranj (SC)	33005	35313	68318
37	Sujanpur	29396	31445	60841
38	Hamirpur	31346	31354	62700
39	Barsar	35460	37068	72528
40	Nadaun	39049	39073	78122
Distt. Total :		168256	174253	342509
District Una				
41	Chintpurni (SC)	36104	33706	69810
42	Gagret	34045	32990	67035
43	Haroli	36240	32927	69167
44	Una	35697	33317	69014
45	Kutlehar	35456	34234	69690
Distt. Total :		177542	167174	344716
District Bilaspur				
46	Jhanduta (SC)	33074	30914	63988
47	Ghumarwin	36306	35846	72152
48	Bilaspur	35622	34074	69696
49	Sri Naina Deviji	31687	28444	60131
Distt. Total :		136689	129278	265967
District Solan				
50	Arki	38271	36472	74743
51	Nalagarh	38031	34854	72885
52	Doon	27312	24488	51800
53	Solan (SC)	36937	33454	70391
54	Kasauli (SC)	29515	26252	55767
Distt. Total :		170066	155520	325586

Assembly Constituency		General Electors		
No.	NAME	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Sirmour				
55	Pachhad (SC)	32082	29074	61156
56	Nahan	33990	31045	65035
57	Sri Renukaji (SC)	29748	26897	56645
58	Paonta Sahib	34558	28602	63160
59	Shillai	31562	24414	55976
Distt. Total :		161940	140032	301972
District Shimla				
60	Chopal	33747	30061	63808
61	Theog	37215	35383	72598
62	Kasumpti	30084	26705	56789
63	Shimla	26742	21349	48091
64	Shimla Rural	34178	32090	66268
65	Jubbal-Kotkhai	31206	30188	61394
66	Rampur (SC)	34047	30871	64918
67	Rohru (SC)	33249	30088	63337
Distt. Total :		260468	236735	497203
District Kinnaur				
68	Kinnaur (ST)	25519	24103	49622
Distt. Total :		25519	24103	49622
State Total :		2279912	2160523	4440435

Assembly Constituency-wise data of Service Electors as on 30.06.2011			
No. & Name of Assembly Constituency	Service Electors		
	Male	Female	TOTAL
1	2	3	4
Disrict Chamba			
1-Churah (SC)	194	75	269
2-Bharmour (ST)	153	59	212
3-Chamba	166	51	217
4-Dalhousie	167	46	213
5-Bhattiyat	1371	540	1911
Total	2051	771	2822
Disrict Kangra			
6-Nurpur	1337	667	2004
7-Indora (SC)	1019	450	1469
8-Fatehpur	1291	506	1797
9-Jawali	1228	405	1633
10-Dehra	1389	632	2021
11-Jaswan-Pragpur	990	440	1430
12-Jawalamukhi	1165	484	1649
13-Jaisinghpur (SC)	1567	784	2351
14-Sullah	1978	991	2969
15-Nagrota	1133	528	1661
16-Kangra	689	311	1000
17-Shahpur	1409	703	2112
18-Dharamshala	1035	495	1530
19-Palampur	1259	559	1818
20-Baijnath (SC)	1268	567	1835
Total	18757	8522	27279
Disrict Lahaul and Spiti			
21-Lahaul&Spiti(ST)	314	92	406
Total	314	92	406
Disrict Kullu			
22-Manali	100	33	133
23-Kullu	197	108	305
24-Banjar	139	64	203
25-Anni (SC)	157	72	229
Total	593	277	870

1	2	3	4
Disrict Mandi			
26-Karsog (SC)	161	67	228
27-Sundernagar	491	128	619
28-Nachan (SC)	702	197	899
29-Seraj	167	63	230
30-Darang	738	242	980
31-Jogindernagar	1356	300	1656
32-Dharampur	1170	387	1557
33-Mandi	1091	289	1380
34-Balh (SC)	937	268	1205
35-Sarkaghat	1444	620	2064
Total	8257	2561	10818
Disrict Hamirpur			
36-Bhoranj (SC)	1713	570	2283
37-Sujanpur	2445	922	3367
38-Hamirpur	1757	745	2502
39-Barsar	2054	368	2422
40-Nadaun	1337	300	1637
Total	9306	2905	12211
Disrict Una			
41-Chintpurni (SC)	835	353	1188
42-Gagret	1256	512	1768
43-Haroli	760	265	1025
44-Una	395	118	513
45-Kutlehar	1025	293	1318
Total	4271	1541	5812
Disrict Bilaspur			
46-Jhanduta (SC)	1072	375	1447
47-Ghumarwin	1091	371	1462
48-Bilaspur	617	274	891
49-Sri Naina Deviji	279	111	390
Total	3059	1131	4190
Disrict Solan			
50-Arki	675	274	949
51-Nalagarh	770	233	1003
52-Doon	492	174	666
53-Solan (SC)	271	102	373
54-Kasauli (SC)	384	145	529
Total	2592	928	3520

1	2	3	4
Disrict Sirmour			
55-Pachhad (SC)	401	48	449
56-Nahan	597	189	786
57-Sri Renukaji (SC)	330	83	413
58-Paonta Sahib	466	117	583
59-Shillai	263	68	331
Total	2057	505	2562
Disrict Shimla			
60-Chopal	185	63	248
61-Theog	291	108	399
62-Kasumpti	156	46	202
63-Shimla	112	60	172
64-Shimla Rural	424	166	590
65-Jubbal-Kotkhai	168	95	263
66-Rampur (SC)	110	60	170
67-Rohru (SC)	190	76	266
Total	1636	674	2310
Disrict Kinnaur			
68-Kinnaur (ST)	397	57	454
Total	397	57	454
Grand Total	53290	19964	73254

Assembly Constituency-wise data of Service Electors as on 31.01.2012			
No. & Name of Assembly Constituency	Service Electors		
	Male	Female	TOTAL
1	2	3	4
Disrict Chamba			
1-Churah (SC)	203	80	283
2-Bharmour (ST)	158	60	218
3-Chamba	172	52	224
4-Dalhousie	176	49	225
5-Bhattiyat	1440	573	2013
Total	2149	814	2963
Disrict Kangra			
6-Nurpur	1370	689	2059
7-Indora (SC)	1045	468	1513
8-Fatehpur	1321	509	1830
9-Jawali	1276	411	1687
10-Dehra	1419	645	2064
11-Jaswan-Pragpur	1033	456	1489
12-Jawalamukhi	1196	493	1689
13-Jaisinghpur (SC)	1634	831	2465
14-Sullah	1882	982	2864
15-Nagrota	1189	568	1757
16-Kangra	713	323	1036
17-Shahpur	1451	724	2175
18-Dharamshala	1068	509	1577
19-Palampur	1187	540	1727
20-Baijnath (SC)	1313	588	1901
Total	19097	8736	27833
Disrict Lahaul and Spiti			
21-Lahaul&Spiti(ST)	327	98	425
Total	327	98	425
Disrict Kullu			
22-Manali	105	35	140
23-Kullu	203	108	311
24-Banjar	140	64	204
25-Anni (SC)	157	72	229
Total	605	279	884

1	2	3	4
Disrict Mandi			
26-Karsog (SC)	148	42	190
27-Sundernagar	497	128	625
28-Nachan (SC)	709	196	905
29-Seraj	172	64	236
30-Darang	750	242	992
31-Jogindernagar	1401	300	1701
32-Dharampur	1210	387	1597
33-Mandi	1101	289	1390
34-Balh (SC)	947	268	1215
35-Sarkaghat	1473	620	2093
Total	8408	2536	10944
Disrict Hamirpur			
36-Bhoranj (SC)	1779	607	2386
37-Sujanpur	2543	941	3484
38-Hamirpur	1803	754	2557
39-Barsar	1943	409	2352
40-Nadaun	1384	318	1702
Total	9452	3029	12481
Disrict Una			
41-Chintpurni (SC)	851	361	1212
42-Gagret	1283	524	1807
43-Haroli	785	279	1064
44-Una	421	128	549
45-Kutlehar	1082	317	1399
Total	4422	1609	6031
Disrict Bilaspur			
46-Jhanduta (SC)	1103	375	1478
47-Ghumarwin	1148	371	1519
48-Bilaspur	620	277	897
49-Sri Naina Deviji	291	116	407
Total	3162	1139	4301
Disrict Solan			
50-Arki	686	280	966
51-Nalagarh	788	243	1031
52-Doon	499	181	680
53-Solan (SC)	274	103	377
54-Kasauli (SC)	393	153	546
Total	2640	960	3600

1	2	3	4
Disrict Sirmour			
55-Pachhad (SC)	408	48	456
56-Nahan	628	197	825
57-Sri Renukaji (SC)	355	98	453
58-Paonta Sahib	472	118	590
59-Shillai	270	70	340
Total	2133	531	2664
Disrict Shimla			
60-Chopal	188	64	252
61-Theog	296	112	408
62-Kasumpti	161	49	210
63-Shimla	118	65	183
64-Shimla Rural	445	178	623
65-Jubbal-Kotkhai	172	98	270
66-Rampur (SC)	112	61	173
67-Rohru (SC)	199	83	282
Total	1691	710	2401
Disrict Kinnaur			
68-Kinnaur (ST)	403	62	465
Total	403	62	465
Grand Total	54489	20503	74992

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री मनोज दीक्षित, गांव गुग्गा सलोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	4.04.2011	आदर्श आचार संहिता के दौरान श्रीमती अनुपमा देवी की रा० उ० विद्यालय, सलोह, जिला कांगड़ा में हुई नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की जांच की छाया प्रति बारे।	20.4.2011 को मूल आवेदन पत्र की प्रति जन सूचना अधिकारी, जि०नि०अ० (उपा०), कांगड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।	शून्य	—	मु० 10/—
2.	Sh. Guna Nand , Advocate, 1&2 alley middle Bazar Shimla	16.4.2011	What parameters were adopted by Delimitation Commissioner while reserving said seat again despite the fact that said seat is reserved since 1969 ?	21.04.2011	106/—	12. 6. 2011	116/—रुपये 10/—रुपये आवेदन शुल्क सहित ।
3.	श्री लाल बहादुर पुत्र श्री टेक बहादुर ग्रा० व डा० समलेउ, तह० डलहौजी, जिला चम्बा ।	02.05.2011	नागरिकता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है आदि।	दिनांक को 6 मई, 2011 को आवेदन अस्वीकृत होने के उपरान्त आवेदक का इस बारे सूचित कर दिया गया है।	—	—	आवेदन शुल्क मु० 10रु—
4.	Shri Parmjeet Singh c/o Sharma Medical Store, Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra	03/05/2011	Particulars of clerks who joined Election Deptt. on the recommendations of HPPSC during 1985	18/05/2011	Rs. 4/-	16/06/2011	Rs. 14/-
5.	Shri Shobhu Ram, Chairman Blind Persons Association, Flat No. 6 Block 11 HRTC colony, Phase-2 Saproon Solan	16/05/2011	Information under RTI Act, 2005	24/05/2011	Rs. 10/-	03/06/2011	Rs. 20/-
6.	Sh. Surinder Walia V&P.O. Dehra, District Kangra.	24.5.2011	Booth wise list of votes polled of all 68 ACs for Vidhan Sabha Elections-2007 and Lok-Sabha Elections-2009	16.6.2011	1330/— रुपए जमा 132/— रुपए पंजीकृत पार्सल डाक खर्च सहित	14.7.2011	1462/— रुपए जमा 10/—रुपये आवेदन शुल्क कुल—1472/—रुपये
7.	Sh.Sushil Kumar Malhotra, V.P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una(HP)	21-07-2011	Request for information under The Right to information Act.2005	28.07.2011	6/—रु० जमा	12.08.2011	20/—

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Sh. Mohinder Singh S/o Sh. Choundu Ram .Village palei PO Brehi (Via Gehra) The.& Distt. Chamba H.P.	26.5.2011	एक विधान सभा क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने हेतु चुनाव आयोग ने कौन-कौन से मापदण्ड निर्धारित किये है ।	28.05.2011	96/-	17. 6 .2011	106/-रुपये 10/-रुपये आवेदन शुल्क राज्य निर्वाचन आयोग में जमा की गई ।
9.	Sh. Ashwani Kumar S/O Sh. Ranbir Singh R/O Village Gurah P.O. Matlahar, Tehsil Jawali, District Kangra through PIO State Election Commission, Shimla.	26.5.2011	Information as to whether an employee of a Recognized and 95% Aided School participate in Assembly Election and Local body elections	31.5.2011	40/- रुपए जमा 36/- रुपए पंजीकृत डाक खर्च सहित	आवेदन कर्ता से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।	--
10.	Lt. Col. Shakti Chand(Retd) State President NCAG(Regd) Vill. Jasaur, P.O. Rounkhar, District Kangra through PIO State Election Commission, Shimla.	16.6.2011	Copy of nomination alongwith the full particulars filed by sitting MLA's of Congress and BJP of Distt. Kangra during 2007/2008 and full detail of all financial assets declared by them.	20.6.2011 जिला निर्वाचन अधिकारी(उपा०) (लोक सूचना अधिकारी) कांगड़ा को स्थानान्तरित ।	-	-	10/-रुपये आवेदन शुल्क की राशि
11.	श्रीमती कान्ता वर्मा पत्नी श्री सदानन्द वर्मा सतीश निवास लोअर टूटु नजदीक एअरपोर्ट रोड शिमला-171011	4.8.2011	श्री सदानन्द चपडासी पुत्र श्री गोपाला राम के पक्ष में मास जूलाई 2011 में आहरित किये गये बेतन सम्बन्धी सूचना जारी करने बारे	9.8.2011	2/-	23-8-2011	2/-रुपये जमा 10/- रुपये आवेदन शुल्क तथा 27/-रुपये डाक खर्च कुल 39/- रुपये
12.	Smt. Kanta Verma w/o Shri Sada Nand Verma Satish Niwas Lower Tutu Near Air Port Road, Shimla-11	04/08/2011	Information under RTI Act, 2005-Salary list of Shri Sada Nand, Peon	09/08/2011	Rs. 29/-	23/08/2011	Rs. 29/-
13.	Sh. Ramesh Kumar "Mumukshu", C-307, Dr. Ambedkar Nagar, Sector-V, Dakshinpuri, New Delhi-110062 through CPIO Election Commission of India.	25.8.2011	Information regarding criminal background of MPs in current Lok-Sabha.	23.9.2011	शून्य	23.9.2011	शून्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	भीम सिंह सपुत्र श्री नेत राम, गांव मैहरन, डा0 सपनोट, तहसील करसोग, जिला मण्डी।	29.8.2011	Criteria for contesting election to the Lok Sabha and Vidhan Sabha.	3.9.2011	22/- रुपए	29.9.2011	22/- रुपए जमा 10/-रुपये आवेदन शुल्क कुल-32/- रुपये
15.	Sh.Rakesh Sharma, Vill.Bhamar, P.O. Bhaloun, Tehsil Bangana, District Una(HP)	30.08.2011	Request for information under The Right to information Act.2005	-	-	सूचना राज्य निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित होने के कारण दिनांक 9-9-11 को अग्रेषित कर दी गई।	10/-
16.	श्री तुलसी राम पुत्र श्री सोमा राम ग्राम अम्बीवाला डाकघर, गोरखवाला तहसील पाँवटा, जिला सिरमौर	08. 9. 2011	प्रधान पद का चुनाव रदद करने बारे।	14.09.2011	-	सूचना प्रदाय करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई।	10/-रुपये आवेदन शुल्क
17.	Sh. Baldev Sharma, Editor, Shail Hindi Weekly near Rivoli Bus Stand, Shimla-1 through PIO State Election Commission, Shimla.	26.9.2011	Copies of declaration of assets and liabilities by the Candidates who filed nominations during the election for the term 2002-2007	28.9.2011 समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(उपा0) (लोक सूचना अधिकारी) हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित।	शून्य	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क की राशि
18.	श्री लेख राम ठाकुर, कला अध्यापक, रा.वरि.मा.पा. सलापड़, जिला मण्डी, हि.प्र. मो.न. 91814-86458	01-10-2011	मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण - 2010 के दौरान प्रतिनियुक्त किये गए अध्यापकों की संख्या तथा उन्हें प्रदाय किये गये मानदेय सम्बन्धी सूचना प्रदाय करने बारे	इस विभाग के पत्र सं.6-30/2010-ई.एल.एन. दिनांक 3-10-2011 द्वारा समस्त जि.नि.अधि.को सूचना भेजने हेतु लिखा गया। दिनांक 8-11-2011 को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया।	मु.4/-रु पंजीकृत डाक खर्च सहित सूचना का मू. 22/-रु0	28.11.11	आवेदन शुल्क 10/-रु. आई.पी.ओ. सं. 01एफ 727131 तथा सूचना का 22/-रु. पंजीकृत डाकखर्च सहित आई.पी.ओ. सं. 01एफ 727235 व 01 एफ 727236 व 58 सी 763063 द्वारा प्राप्त की गई
19.	प्रशांत शर्मा, आर0टी0 आई0 एक्टिविस्ट, अपोजिट होण्डा हस्पताल, सारंग रोड़ सोनीपत, हरियाणा।	12-10-2011	श्री आनन्द शर्मा, मंत्री, भारत सरकार के राज्य सभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में दर्शाये गये सम्पत्ति के ब्यौरे बारे सूचना	14-10-2011 जन सूचना अधिकारी, कार्यालय हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला को स्थानान्तरित।	शून्य	शून्य	शून्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Sh. H. S. Sall, Advocate, M.L. Vihar, Moon Cottage, Kasumpti, Shimla-9	24.10.2011	Copies of information regarding conferment of powers to Tehsildars and Naib-Tehsildars(E) delegated under RP Act and other Central and State Act.	2.11.2011	68/- रुपये	19.11.2011	68/- रुपए जमा 10/-रुपये आवेदन शुल्क कुल-78/- रुपये
21.	श्री तिलक राज शर्मा, गांव व डा० कड़ोआ वाया ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा।	25.10.2011	लोक सभा व विधान सभा सदस्य के अभ्यर्थी बनने हेतु योग्यता व अयोग्यता बारे सूचना।	16.12.2011 लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा को स्थानान्तरित।	37/- रुपये	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क
22.	Sh. Anil Bairwal, National Coordinator, ADR Hauz Khas, New Delhi-110016	25.10.2011	Information related to the affidavits submitted by Candidates contested in State Assembly Election 2007.	29.10.2011 लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला, कांगड़ा, मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना को स्थानान्तरित।	शून्य	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क
23.	Sh. M. Athikesavan, 547, East Avenue Road, MKB Nagar, Vyasarpadi, Chennai.	5-11-2011	Information regarding details of assets disclosed by the contestants during the last five terms for 68 ACs and 4 PCs in HP	8.11.2011 समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(उपा०) (लोक सूचना अधिकारी) हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित।	शून्य	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क की राशि
24.	श्री शक्ति चन्द, समीप पुलिस थाना, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि०प्र० - 176031.	21.11.2011	वर्ष 2007 में विधान सभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किन-किन विभागों में पदोन्नति हुई थी।	14.12.2011	शून्य	14.12.2011	₹ 10 / -
25.	Sh. M. Athikesavan, 547, East Avenue Road, MKB Nagar, Vyasarpadi, Chennai.	25-11-2011	Information regarding details of assets disclosed by the contestants during the last five terms for 68 ACs and 4 PCs in HP	5.12.2011 समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(उपा०) (लोक सूचना अधिकारी) हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित।	596/- रुपये	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क की राशि

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Sh. Anil Bairwal, National Coordinator, ADR Hauz Khas, New Delhi-110016	28.11.2011	List of winners of bye-elections	3.12.2011	60/- रुपये	20.12.2011	60/- रुपए जमा 10/-रुपआवेदन शुल्क कुल-70/- रुपये
27.	Shri Dharam Chand C/O District Hospital Nahan, Sirmaur	14/12/2011	Information under RTI Act, 2005	17/12/2011	Rs. 40/-	08/02/2012	Rs. 50/-
28.	श्री शक्ति सिंह सपुत्र श्री कांशी राम, गांव सनोट, डा0 व तहसील देहरा, जिला कांगड़ा।	15.12.2011	श्री रमेश चन्द धवाला, सपुत्र श्री रूप लाल, वर्तमान खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, हि० प्र० सरकार की शैक्षणिक योग्यता बारे सूचना।	16.12.2011 लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा को स्थानान्तरित।	शून्य	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क
29.	श्री विजय कुमार कौषल सपुत्र श्री दीना नाथ ग्राम सहिया (पलथी) डाकघर औहर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर	24. 12. 2011	प्रधान पद के चुनाव बारे।	24.12.2011	-	सूचना प्रदाय करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई।	10/-रुपये आवेदन शुल्क
30.	Sh. M. Athikesavan, 547, East Avenue Road, MKB Nagar, Vyasarpadi, Chennai. Received through APIO(Tehsildar Election) Hamirpur.	10-1-2012	Details of Lok Sabha and Assembly Elections (Including bye-elections) conducted in your district during the last five terms as per annexure-Reg.	17.1.2012	2/- रुपये जमा 22/-रुपये पंजीकृत डाक खर्च सहित	आवेदनकर्ता से सूचना प्राप्त कराने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	शून्य
31.	श्री पवन शर्मा, वरिष्ठ सहायक रा.वरि.मा.पा.. पट्टा ब्राऊरी,जिला सोलन	12-01-2012	श्री पवन कुमार, वरि.सहा. को भारमुक्त करने से सूचित न करने के सन्दर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी (उपा.) की छानबीन रिपोर्ट की प्रति प्रदाय करने हेतु आवेदन	इस विभाग के पत्र संख्या: 6-30/2010-ई.एल.एन. दिनांक 24 जनवरी, 2012 के द्वारा सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया।	रु० 8/-रु० पंजीकृत डाक खर्च सहित सूचना का मू. 40/-रु०	15.02.12	आवेदन शुल्क 10/-रु. तथा सूचना का मू. 40/-रु० पंजीकृत डाक खर्च सहित

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Shri Jagdish S/o Shri Sunder Ram, VPO Kothi Tehsil Ghumarwin (through PIO cum Addl. Secretary (Vigilance) to the Govt. of H.P.)	15/01/2012 received on 09/02/2012	Information under RTI-2005	15/02/2012	-	15/02/2012	-
33.	Sh. M. Athikesavan, 547, East Avenue Road, MKB Nagar, Vyasarpadi, Chennai. Received through APIO(Tehsildar Election) Shimla.	18-1-2012	Details of Lok Sabha and Assembly Elections (Including bye-elections) conducted in your district during the last five terms as per annexure-Reg.	20.1.2012	2/- रूपये जमा 22/-रूप ये पंजीकृत डाक खर्च सहित	आवेदनकर्ता से सूचना प्राप्त कराने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	शून्य
34.	Shri Ramesh Chand, Sr. Asstt. Department of , S&T, Narayan Villa, Shimla	18/01/2012	Information under RTI Act, 2005	13/02/2012	-	13/02/2012	Rs. 10/-
35.	Sh. Aninder Singh (Advocate) C/o Luxmi Diesel service, Bhuppur Paonta Sahib Distt Sirmour.	23-1-2012	Information regarding contesting candidates for vidhan Sabha Election From 18-Paonta Doon AC.	27.1.2012 लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, सिरमौर को स्थानान्तरित	4/- रूपये जमा 22/-रूप ये पंजीकृत डाक खर्च सहित	आवेदनकर्ता से सूचना प्राप्त कराने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	10/-रूपये आवेदन शुल्क
36.	श्री सोम दत्त शर्मा, मार्फत शर्मा कलीनिक, गांधी चौक, हमीरपुर।	27-1-2012	हिमाचल प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन 2003 में सभी विधायकों व लोक सभा निर्वाचन 2004 के सांसदों के चल-अचल सम्पत्ति की सूचना।	27.1.2012 समस्त लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	20/-रूपये आवेदन शुल्क

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Sh. Anil Bairwal, National Coordinator, ADR Hauz Khas, New Delhi-110016 Through ECI.	31.1.2012	Information related to the affidavits submitted by winners and Runnersup in Lok Sabha Election 2009.	4.2.2012	शून्य	4.2.2012	शून्य
38.	Shri Jagdish Chand, Laxmi Niwas, Below B.C.S, New Shimla.	02/02/2012	Supply of information under RTI Act, 2005	06/02/2012	Rs. 8/-	06/02/2012	Rs.18/-
39.	श्री प्रदीप कुमार बजाज, प्रबन्ध न्यासी, अखिल भारतीय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय परिषद, "दुर्गा सदन" बी० 25/34ए-1/46, जवाहर नगर कालोनी (हनुमानपुरा), वाराणासी, उत्तर प्रदेश-221010	29.2.2012	हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचन 2007 में सभी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा खर्च की गई धनराशि बारे सूचना	5.3.2012 समस्त लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रूपये आवेदन शुल्क
40.	Brig. Dalip Singh Chhajta, HQ 9 Crops, Pin-908509 C/o 56 APO (Through PIO cum Addl. Secretary (Personnel) to the Govt. of H.P.)	05/03/2012	Information under RTI-2005 reg. detail of IAS/IPS/HAS/H PS officers' re-employment.	12/03/2012	-	12/03/2012	-
41.	Shri Jagdish Chand o/o District Election Office, Shimla	06/03/2012	Regarding cancellation order for post of LDR clerk in Secretariat, H.P.	06/03/2012	Rs. 2/-	06/03/2012	Rs. 12/-

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	श्री रितेश कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह गांव जन्दरू खुर्द, डा0घ0 जन्दरू कलां तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी।	13-3-2012	धर्मपुर विधान सभा के विधायक श्री महेन्द्र सिंह द्वारा आजतक के सभी पांचों बार के चुनावों में प्रस्तुत किये गये सम्पत्ति के शपथ पत्रों की प्रतियां।	15.3.2012 लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, मण्डी को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रूपये आवेदन शुल्क
43.	कैप्टन जगदीश चंद, निवासी ग्राम नरोला, डा.घर.बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हि.प्र.	13-03-2012	35-सरकाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मतदाताओं, विधायकों व आरक्षण के सन्दर्भ में	इस विभाग के पत्र संख्या: 6-30/2010-635 ई.एल.एन. दिनांक 2 अप्रैल, 2012 के द्वारा सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया।	मु0 104/-रु पंजीकृत डाकखर्च सहित सूचना का मू0 161/-रु		

**Detail showing inspection conducted by Tehsildar/ Naib
Tehsildar (Elections) during 2011-2012**

Sr. No.	Name of District	Name and Designation of Inspecting Officer	Name of Sub-Divisional Election Office	Date of Inspection
1.	Chamba	Tehsildar(Elections),	Dalhousie	17 & 18-6-2011
			Bharmour	28 & 29-6-2011
		Naib Tehsildar(Elections),	Churah	22 & 23-6-2011
			Bhattiyat	01 & 02-7-2011
		Tehsildar(Elections),	Chamba	05 & 06-7-2011
Pangi	07 & 08-7-2011			
2.	Kangra	Sh. Mohar Singh, Tehsildar (Elections),	Dehra	27 & 28-6-2011
			Jawali	01 & 02-7-2011
		Sh. Navjeevan Mankotia, Naib-Tehsildar (Elections),	Dharamshala	17 & 18-6-2011
			Kangra	20 & 21-6-2011
			Palampur	22 & 23-6-2011
		Sh. U.N.Shukla, Naib-Tehsildar (Elections),	Nurpur	24 & 25-6-2011
			Bajjnath	29 & 30-6-2011
Jaisinghpur	04 & 05-7-2011			
3.	Kullu	Sh. Chuni Lal, Naib Tehsildar (Elections), and Ganga Ram, Sr. Asstt.	Anni	27 & 28-6-2011
			Banjar	30-6-2011& 01-7-2011
			Manali	04-7-2011& 05-7-2011
			Kullu	07-7-2011& 08-7-2011
4.	Mandi	Tehsildar(Elections)	Jogindernagar	20-9-2011
			Padhar	22-9-2011
		Naib Tehsildar(Elections)-I,	Sundernagar	24-9-2011
			Sarkaghat	26-9-2011
		Naib Tehsildar(Elections)-II,	Karsog	28-9-2011
			Gohar	30-9-2011
		Tehsildar(Elections), & Naib Tehsildar(Elections)-I,	Sadar Mandi	30-9-2011
5.	Hamirpur	Naib-Tehsildar (Elections),	Nadaun	28-3-2011
			Barsar	29-3-2011
			Bhoranj	30-3-2011
			Hamirpur	31-3-2011
6.	Bilaspur	Tehsildar/Naib-Tehsildar (Elections),	Sadar Bilaspur & Ghumarwin	18-6-2011, 29-6-2011, 5 & 12-7-2011, 9 & 26-8-2011, 13 & 24-9-2011, 18 & 29-10-2011, 4 & 22-11-2011 and 20 & 29-12-2011
7.	Una	Tehsildar/Naib-Tehsildar (Elections),	ERO(SDM), Amb	26-7-2011 & 27-7-2011
			ERO(ADM), Una	28-7-2011
			ERO(SDM), Una	29-7-2011 & 30-7-2011
8.	Sirmour	Naib-Tehsildar (Elections),	Nahan	25-4-2011
		Tehsildar(Elections),	Paonta Sahib	26-4-2011
		Naib-Tehsildar (Elections),	Rajgarh	29-4-2011
9.	Solan	Naib Tehsildar(Elections),	Arki	20-6-2011
		Tehsildar (Elections),	Nalagarh	21-6-2011
		Tehsildar (Elections),	Solan	22-6-2011
10.	Shimla	Tehsildar (Elections),	Chopal	04-7-2011
			Rohru	06-7-2011
			Shimla(U)	08-7-2011
		Naib-Tehsildar (Elections),	Shimla(R)	28-6-2011
			Rampur	29-6-2011
Theog	30-6-2011			

**DETAIL OF COMPLAINTS IN CONNECTION WITH
ENROLMENT OF NAMES AND EPICs**

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	04-04-2011	Sh. Narinder Verma S/O Sh. Mast Ram Verma r/o Pinview Lodge Sachna Ghati, Chhota Shimla-2	Regarding delivery of Electors Photo Identity Cards.	The complainant has been informed by the ERO regarding verification of his application . After verification the EPIC will be prepared and handed over to the applicant.	Disposed of.
2.	7-04-2011	Sh. Rajesh Kumar Rana S/O Sh. Udho Dass Rana,VPO Ghar Tika Lamlehad, Tehsil Palampur, District Kangra	Regarding non-inclusion of name after filling Form-6	The complainant has been disposed off by ERO (SDM) Palampur with the request to fill form-6 again and handover to the concerned BLO under proper receipt.	Disposed of.
3.	15-04-2011	Sh. Sanjeev Kumar S/O Sh. Dharam Chand, VPO Chandrot, Tehsil Baroh, District Kangra.	Complaint regarding Status of Voter ID Card	EPIC of the Complainant has been prepared by the concerned ERO and handed over to him on 21-4-2011	Disposed of.
4.	3-5-2011	Sh. Shukul Kumar S/O Lt. Sh. Bahal Chand Sharma, VPO Patta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur	Regarding wrong particulars in the EPIC	The complainant has been intimated through e-mail and in writing on 5-5-2011 by the concerned ERO for doing the needful	Disposed of.
5.	10-5-2011	Sh. Shashi Bushan s/o Sh. S.R. Dhiman o/o Division of Biotechnology, Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR), Palampur District Kangra	Complaint regarding Elector Photo Identity Card not received after photography.	The complainant has been requested by the ERO (SDM), Palampur to submit the information pertaining to Part No. & Sr. No. where his name has been registered in the PER so that EPIC could be issued to him.	Disposed of.
6.	13-5-2011	Sh. Sahani Devi VPO Helar, Tehsi Jaisinghpur, Distt. Kangra	Regarding making correction of age in EPIC.	The complainant has been asked by the ERO (SDM), Jaisinghpur to submit age proof alongwith EPIC already issued to her so that necessary correction may be carried out in the PER & correct EPIC issued thereafter.	Disposed of.
7.	24-5-2011	Through public grievances redress system.	Regarding Correction in EPIC i.e. Updation of date of birth.	The complainant has been issued rectified EPIC on 2-6-2011.	Disposed of.
8.	01-06-2011	Through public grievances redress system.	Guidance sought about new registration/ EPIC preparation.	The complainant has been guided thoroughly and explained the procedure about new registration/ preparation of EPIC .	Disposed of.
9.	02-06-2011	Sh. Karnail Sushil Kumar, VPO Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.	The Complainant has only asked for the procedure of enrolment of his name and his family members in the Electoral Rolls.	The complainant has been intimated telephonically on 2nd June, 2011 regarding the procedure of enrolment of name in the Photo Electoral Rolls by the ERO(SDM), Dharamshala.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	16-06-2011	Sh. Partap Rana, Vill. Chaddal, PO Thakloh, Tehsil Jawalamukhi District Kangra	The Complainant wants to register his name as well as his friends name in the Electoral Roll.	BLO concerned has been directed to distribute & collect Form-6 alongwith relevant documents and two passport size photographs. As soon as Form-6 alongwith BLOs' report will be received, name will be registered.	Disposed of.
11.	17-06-2011	Naresh Kumar Vill. & PO Kariyana, Tehsil Dehra, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	BLO concerned has been directed to distribute & collect Form-6 alongwith relevant documents and two passport size photographs. As soon as Form-6 alongwith BLOs' report will be received, name will be registered.	Disposed of.
12.	17-06-2011	Amit Vill. Hiran, PO Kohala, Tehsil Jawalamukhi Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	BLO concerned has been directed to distribute & collect Form-6 alongwith relevant documents and two passport size photographs. As soon as Form-6 alongwith BLOs' report will be received, name will be registered.	Disposed of.
13.	22-06-2011	Anuja Gautam, H.No. 9, Ram Nagar, Distt. Kangra	The Complainant wants to register her name in the Electoral Roll.	As per report received from Electoral Registration Officer (SDM), Dharamshala, name of the complainant i.e. Abuja Gautam was found already in the PER, In this regard EPIC was prepared and handed over to the complainant through BLO. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) and he was found satisfied.	Disposed of.
14.	23-06-2011	Mukul Dhiman, Gali Amarpuri, Ward No. 5, Tehsil Dehra Gopipur, Distt. Kangra	-do-	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Dehra or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	23-06-2011	Atul Rana, VPO Jagrop Nagar, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra	-do-	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Jaisingpur or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
16.	23-06-2011	Rajat Gupta, Vill. Sadarpur, Tanda Medical College, Tehsil & Distt. Kangra	-do-	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Kangra or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
17.	23-06-2011	Bhavna Sharma, Old Kangra Ward No. 1, Tehsil & Distt. Kangra	-do-	The complainant was contacted telephonically and she was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Kangra or through concerned BLO so that her name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and she was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
18.	23-06-2011	Amar Sharma, Vill Garh Sukkar, PO Sukkar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name as well as his family members' name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Dharamshala or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.	23-06-2011	Manoj Singh, Vill. Radoh, P.O. Sunad, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically by ERO(SDO(C), Jawali and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents through concerned BLO for enrolment of name in the PER. Cell number of BLO was also delivered to him. In response the complaint deposited his Form-6 in the office of ERO, Jawali. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and he was found satisfied.	Disposed of.
20.	23-06-2011	Amit Sood, VPO & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Dehra or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
21.	23-06-2011	Abhishek Sharma, Ward No. 75, near TWT Rest House Jasalta, Distt. Kangra	-do-	BLO concerned has been directed to distribute & collect Form-6 alongwith relevant documents and two passport size photographs. As soon as Form-6 alongwith BLOs' report will be received, name will be registered.	Disposed of.
22.	24-06-2011	Sonam Chauhan, Vill Lohna, PO Bundla, Tehsil Palampur, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name as well as his family members' name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and she was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Palampur or through concerned BLO so that her name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and she was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	24-06-2011	Alisha Kapoor, Jeet singh Preet Nagar, near Bharti Vidya Peeth School, PO Baijnath, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and she was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Dharamshala or through concerned BLO so that her name could be included in the PER. during current revision of PER w.r.t. 1-1-2012 as she has not attained the age of 18 years as per current qualifying date 1-1-2011. The complainant was also contacted telephonically by the Naib-Tehsildar (E) and she was found satisfied with the guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
24.	24-06-2011	Bhartendu Sharma, 3/Y5 Teachers Colony CFKHPKV, Tehsil Palampur, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name as well as his sisters' name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Palampur or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
25.	24-06-2011	Karishma Jasrotia, Karishma New Commercial Complex 1st Floor Opp. Samuel School, Lohan, PO Pandla, Tehsil Palampur, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and she was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit to the Office of ERO(SDO(C), Palampur through concerned BLO so that her name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and she was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
26.	24-06-2011	Eeshan Chambial, 91, College Road, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra	-do-	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Dharamshala or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	24-06-2011	Anjum Kaistha, H.No.332 Guru Dwara, Road Kotwali Bazar, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra	-do-	The complainant was contacted telephonically and she was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Dharamshala or through concerned BLO so that her name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) and she was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
28.	25-06-2011	Shammi Mankotia w/o Kultar Singh, VPO Tiara, Tehsil & Distt. Kangra	Regarding non-receipt of EPIC after applying for the same.	As per information received from ERO(SDM), Kangra, EPIC have been prepared and handed over to the complainant. The Complainant was also contacted by Naib-Tehsildar(E) and she was found satisfied.	Disposed of.
29.	26-06-2011	Pradeep Kumar, Vill. Gadril, P.O. Ghallour, Tehsil Jawalamukhi, Distric Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Dehra or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. As per telephonic conversation with the father of the complainant and Naib-Tehsildar(E) it was found that the complainant is not ordinarily residing at Dehra, so they advised to submit Form-6 at the place of ordinary residence i.e. Baddi, Distt. Solan. The complainant was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
30.	26-06-2011	Ajay Rana, Vill. Barla, P.O. Dhameta, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll	The complainant was contacted telephonically by ERO(SDO(C), Jawali and was guided to fill up Form-6 and submit it either to the office of ERO(SDM) or concerned BLO alongwith relevant documents for enrolment of his name in the PER. The cell number of BLO was also delivered to him. The complainant was also contacted telephonically by Naib-Tehsildar (E) on behalf of DEO, Kangra and he was found satisfied.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	29.06.2011	Rakesh Kumar Gara. Received through Election Commission of India.	Dual Registration and multiple EPIC	This complaint was also received last year and got enquired through District Election Officer, Bilaspur. Thereafter, Election Commission of India was informed on 20.8.2010 accordingly. The contents of enquiry reports once again sent to ECI on 20.8.2011 alongwith copy to the complainant.	-
32.	04-07-2011	Sachin Kumar, VPO Taragarh, Tehsil Baijnath, District Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents and submit either to the Office of ERO(SDO(C), Baijnath or through concerned BLO so that his name could be included in the PER. The complainant was also contacted by the Naib-Tehsildar (E) and he was found satisfied with guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
33.	04-07-2011	Dharam Chand, Vill Haler, PO Kanpur, Tehsil Jaswan Pragpur, District Kangra	Complainant has lost his EPIC & wants duplicate EPIC.	The complainant was contacted telephonically. He was told to fill in & submit Form No. ECI-EPIC-002 alongwith the relevant documents required and fee of Rs.25/- in the office of Electoral Registration Office Cum SDO(C) Dehra to get the duplicate Elector Photo Identity Cards. The complainant was found satisfied with guidelines provided by the ERO& DEO.	Disposed of.
34.	04-07-2011	Arun Pathania, VPO Amlala, Tehsil Jawali, District Kangra	The Complainant wants to register his name in the Electoral Roll.	The complainant was contacted telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents so that her name could be included in the PER. The concerned BLO was directed on his cell phone to supply Form-6 to the complainant. The complainant was also contacted telephonically by the Naib-Tehsildar (E) and he told that he has already submitted Form-6 in the Office of ERO(SDM), Jawali.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
35.	06-07-2011	Pradeep Kumar, s/o Sh. Atma Ram, VPO Rehlu, District Kangra	Regarding EPIC not received after applying for the same in the month of January.	The EPIC of the complainant has been prepared by the ERO(SDM), Dharamshala, and distributed to him through Booth Level Officer.	Disposed of.
36.	08-07-2011	Mukesh Sharma, Vill Bassa, PO Chatter, Tehsil Nurpur, District Kangra	Complainant has lost his EPIC & wants duplicate EPIC.	The complainant was contacted telephonically and she was guided to fill up Form No. ERI-RER-002 alongwith fee of Rs. 25/- and relevant documents and submit to the Office of ERO(SDO(C), Jawali to get the duplicate EPIC. The complainant was also contacted telephonically by the Naib-Tehsildar (E) and she was found satisfied with the guidelines provided by the ERO & DEO.	Disposed of.
37.	13-07-2011	Ashwani Kumar, VPO Gharana, Tehsil Palampur, District Kangra	The Complainant wants to make corrections in his EPIC. He has lost his EPIC & wants duplicate EPIC.	The complainant was contacted telephonically. He was asked to fill up Form-8 for correction of name and submit to the Office of ERO(SDO(C), Palampur or through concerned BLO. The complainant has applied in the office of ERO, Palampur on the prescribed form alongwith the required documents. The correction will be carried out and EPIC will be issued to him soon.	Disposed of.
38.	14-07-2011	Received through CEO, HP, Shimla	Regarding duplicate EPIC.	The respondent applied for deletion of his name through Form-7 alongwith EPIC. Accordingly, the action has been taken by the ERO (SDM) Ghumarwin.	Disposed of.
39.	14-07-2011	Vivek Sharma s/o Shamal Swaroop, VPO Ballah, Tehsil Palampur, District Kangra	The complainants wants to know the procedure how to change the address mentioned in the EPIC which is issued to him	The complainant has been requested by the ERO(SDM) Palampur to apply in Form-8 alongwith prescribed fee of Rs.25/- for making correction in the EPIC.	Disposed of.
40.	11-08-2011	Rajender Singh Jaryal s/o Sh. Ludiya Ram Jaryal, Vill. Dasloon, PO Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra	Regarding EPIC not received after depositing photograph & fee 3 months ago.	As per report received from DEO(DC), Kangra the EPIC of complainant has been prepared and handed over to him.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41.	16-08-2011	Sh. Prashant Mahendru, House No.213, Ward No.3,Main Bazar Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra	Regarding non-inclusion of name after applying Form-6 in the office of the ERO(SDM) Palampur	As per the information received from o/o the ERO (SDM) Palampur, the name of the complainant has been enrolled in the Photo Electoral Rolls of 19-Palampur Assembly Constituency and the EPIC has also been handed over to the complainant.	Disposed of.
42.	26-08-2011	Sh. Amer Singh Thakur, Village Dhamrau, P.O. Bhavguri, Tehsil Kishangarh, District Solan	Regarding correction of names in Electors Photo Identity Card.	The complainant has been guided thoroughly and explained the procedure about correction in EPIC.	Disposed of.
43.	29.08.2011 and 10.10.2011	Sh. HN Khatak through State Election Commission, H.P. and Election Commission of India.	Issuance of EPIC to Vinita.	Complaint was sent to the District Election Officer, Kangra for enquiry. In his enquiry report, District Election Officer (DC), Kangra has informed that Vinita is not a registered elector. She has been advised to file claim in form-6 with photograph. Complainant has been informed accordingly on dated 24.11.2011.	
44.	09-08-2011 received on 05-09-2011	Sh. H.N. Khatak, Branch Secretary, All India SC/ST Association, 44/32 Chawla Colony Near Double Phatak Road, Rohtak (H.R.)-124001	Complaint regarding non issuance of Electors Photo Identity Card.	As per information received from DEO(DC), Kangra, the conerened BLO visited the house of complainant Smt. Vinita & Form-6 got filed up by her alongwith required documents. The name of the complainant will be included in the PER in the current campaign of Summary Revision of PER and EPIC will be issued to her thereafter.	Disposed of.
45.	15-09-2011 ELEC/201160	Sh. Rishi Ram s/o Lt. Sh.Ishri Nand, Vill. Bahli, PO Bhutti, Tehsil Kumarsain, H.P.	Complaint regarding Correction in Electors Photo Identity Card & Electoral Roll.	The complainant has been informed by the ERO (SDM) Theog that necessary correction will be carried out during Special Summary Revision of PER-2012.	Disposed of.
46.	18-09-2011 ELEC/201160	Sh. Rajesh Rana s/o Udho Ram Rana, Vill. Lamleha, Post Offie Ghar, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P.	Complaint regarding non receipt of Electors Photo Identity Card after submitting Form-6 alongwith photograph.	As per information received from DEO, Kanga the name of complainant and his spouse have been enrolled in the PER of 19-Palampur AC. EPICs have also been prepared and handed over to them.	Disposed of.
47.	20-09-2011	Sh. Surender Pal Singh, r/o 346 Phase-3, Housing Board Colony, Baddi, District Solan, H.P. Through Public grievances redress system	Complaint regarding issuance of duplicate EPIC.	The complainant has been guided thoroughly and explained the procedure about issuance of duplicate EPIC.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
48.	27-09-2011	Sh. Mehar Dogra s/o Lt. Sh. Sardari Lal r/o H.No. 92, VPO Chandpur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P.	Complaint regarding non issuance of EPIC after applying for the same in the month of February, 2011.	As per information received from DEO, Kangra the EPIC has been handed over to the BLO of 50-Chandpur polling station for further distribution to the complainant.	Disposed of.
49.	30.09.2011	Kaushalya Devi w/o Jai Pal village Daduwal, PO Vikram Baag Tehsil Nanan, Sirmour.	Dual Registration.	The complaint was sent to the District Election Officer, Yamunanagar, Haryana and copy to District Election Officer, Sirmour for enquiry. As the person mentioned in the complaint is residing in Sirmour, District Election Officer, Sirmour has been requested to collect the EPIC issued by Haryana to sh. Kreshan Kumar and destroy as per procedure.	
50.	05-10-2011	Sh. Hem Raj s/o Sh. Bhagwan Dass, Vill. Seri, P.O. Dhaugi, Sub-Tehsil Sainj, District Kullu, H.P.	Complaint regarding correction in the Electors Photo Identity Card.	As per report received from DEO(DC), Kullu, the EPIC of the complainant has been corrected and handed over to the BLO for further distribution.	Disposed of.
51.	12-10-2011	Sh. Balbir Chand Kaistha, Ward No.7, Nagrota Bagwan, District Kangra	Complaint regarding non receipt of Electors Photo Identity Card after applying in Form-8 for correction in the same.	As per report received from DEO(DC), Kangra, EPICs of the complainant & his family members complainant has been rectified and handed over to the concerned on 21-10-2011.	Disposed of.
52.	12.10.2011	Rakesh Kumar Gara. Received through Election Commission of India.	Dual Registration and multiple EPIC	The complainant has raised more points about his previous complaint dated 26.9.2011. This complaint was again sent to the District Election Officer, Bilaspur for enquiry. Reply received from DEO Bilaspur was not according to the points raised by the complainant; hence, DEO Bilaspur once again has been requested to enquire into the matter as a fresh. Report awaited.	
53.	13.10.2011	Sh. Ram Saran Verma R/O Village Kheel PO Dharbhog Tehsil & District Shimla	Use of previous EPICs having old address for identification after shifting the residence by Sh. Bhagat Ram.	Complaint was sent to District Election Officer, Shimla for enquiry and report. District Election Officer, Shimla has informed that Sh. Bhagat Ram has ceased to ordinarily residence at the given address. Hence, the name of Sh. Bhagat Ram will be deleted from the Photo Electoral Roll.	

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
54.	31.10.2011	Gurbax Singh VPO Bhantoli, Teh. and district Una	Correction in voter Identity Card.	Complaint has been informed about the procedure of correction of Voter Identity Card on dated 01.11.2011. Further, ERO Una has informed that corrected EPIC has been handed over to the complainant.	-
55.	04-11-2011	Sh. Gopal Prasad, Director Khadi & Gram Udyog.	Complaint regarding absence of Designated Officer from the location during Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls-2012.	The Complaint has been forwarded to the Electoral Registration Officer (SDM), Shimla (U) for inquiry. As per report received from DEO(DC), Shimla the complainant was contacted telephonically & he told that he has submitted his Form-6 for inclusion in the Photo Electoral Rolls.	Disposed of.
56.	ID-HP/2/73 14-11-2011	Sh. Surinder Paul Sharma, VPO Mohtli, Tehsil Indora, District Kangra (H.P.)	Complainant wants to register his name as well as his family members name in the Photo Electoral Rolls.	As per information received from DEO(DC), Kangra, the ERO(SDM), Nurpur contacted the complainant telephonically and he was guided to fill up Form-6 alongwith relevant documents. The complainant was also contacted by Naib-Tehsildar (Election) telephonically and he was found satisfied with the guidelines provided for the enrolment in the PER.	Disposed of.
57.	11-11-2011	Sh. Praveen Kumar s/o sh. Dharam Chand, VPO Chandrot, Tehsil Baroh, District Kangra, H.P., PIN-176037	Complaint regarding non receipt of Electors Photo Identity Card.	As per information received from DEO (DC), Kangra, the complainant has been informed telephonically about the preparation of his EPIC and on his request the EPIC has been handed over to his relative named Sh. Lal Man on dated 19-12-2011.	Disposed of.
58.	15-11-2011	Sh. Garibdas Chela & Mukhtiyararam Mahant Sh. Jagatdas Ji, Dera Baba Ghati. P.O. Dhamrur, Tehsil Jaswan, Block Pragpur, Distt. Kangra, H.P.	Complaint regarding registration of name in Electoral Roll as Jeewan lal & Anita Devi by making fraud by Viki Ram & Pooja Devi	As per information received from DEO (DC), Kangra, the ERO (SDM), Dehra has conducted the enquiry. As per the enquiry report complaint was found baseless.	Disposed of.
59.	17-11-2011	Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Prakash Chand, H.No. 113, Ward No. 8, Hamirpur	Complaint regarding non receipt of Electors Photo Identity Card after photography.	As per information received from DEO(DC), Hamirpur, EPIC has been issued to the complainant by concerned ERO on 27-10-2011.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
60.	28-11-2011	Sh. Roop Lal Sharma, Vill. Jamli, PO Mundkhar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P.	Complaint regarding corrections in the EPICs.	As per information received from DEO(DC), Hamirpur, EPIC of the complainant has been rectified which will be handed over to the complainant well before National Voter's Day and the complainant informed accordingly in this regard.	Disposed of.
61.	22.11.11	Sq. Ldr. VR Mehta, Air Force Station Bangore.	Regarding Issuance of EPIC.	Applicant has been informed about the provision of EPICs to service personnel on dated 26.11.2011.	EPICs are not issued to service personnel.
62.	13-12-2011	Sh. Deepak Kumar, Vill. Nouri, PO Bhadiarkhar, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra, H.P.	The complainant wants correction in the PER in respect of his wife and himself.	As per information received from DEO (DC), Kangra, the necessary correction of name & date of birth of the complainant and his wife have been carried out. The complainant was contacted telephonically by Naib-Tehsildar (E), he replied that he was out of station & he will collect EPICs whenever he comes.	Disposed of.
63.	28.12.2011	Sh. Rishi Ram, Vill. Bahli, PO Bhutti, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, H.P.	Complaint regarding wrong particulars in the Elector Photo Identity Card.	As per information received from DEO (DC), Shimla, the complaint has been sent to ERO(SDM), Theog for necessary action. The ERO(SDM), Theog has intimated online that the complainant has been contacted directly by the concerned BLO. Election Kanungo has also contacted the applicant and conveyed to him the relevant procedures.	Disposed of.
64.	27-01-2012	Sh. Vikas Sharma, Village Droohna Brahmna, P.O. Patta Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur.	Correction in EPIC	As per information received from DEO (DC), Hamirpur, the complaint has been sent to ERO(SDM), Bhoranj for necessary action. The ERO(SDM), Bhoranj has informed the complainant father Shri Suresh Chand about the procedure to get a corrected EPIC, because the complainant is presently studying outside AC.	Disposed of.
65.	25-02-12	Sh. Fakir Chand, S/O Sh. Swami Nath, V.P.O. Bardam, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra H.P.	Complaint regarding non-receipt of EPIC.	EPIC has been prepared and delivered to the complainant after procurement of required documents.	Disposed of
66.	27-02-12	Sh. Kesar Chand S/O Sh. Bhagat Ram, R/O Village Kuhna, Tehsil Rakkar, District Kangra, H.P.	Complaint regarding deletion of name from Electoral Rolls	As per ERO Dehra report, the complainant is not an ordinary resident of the village Kuhna. On enquiry, it has been found that the complainant resides in Chandigarh with his family.	Disposed of
67.	05-03-12	Sh. Onkar Nath Sharma, Main Market Talwara, Distt. Hoshiarpur, Punjab	Dual Registration	The Complaint has been forwarded to the Electoral Registration Officer (SDM), Dalhousie for enquiry. Report is still awaited.	